बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना–800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक : नि०प्रा०/नि०1–07/2017 688 / पटना, दिनांक 04/08/2017

प्रेषक,

फूल सिंह,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
सभी उप विकास आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी (व्यापार मंडल),
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)।

विषय : **व्यापार मंडल की प्रबंधकारिणी कमिटी का निर्वाचन : निर्वाचन संचालन हेतु आवश्यक अनुदेश।**

महाशय,

प्राधिकार द्वारा शीघ्र ही व्यापार मंडल की प्रबंधकारिणी कमिटी के निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

2. वर्तमान में राज्य के व्यापार मंडल दो उपविधियों के आधार पर गठित है। सुविधा के लिए हम इन्हें पुरानी उपविधि एवं नई उपविधि कह सकते है। नई उपविधि का अर्थ है कि सोसाईटी सहकारिता विभाग के पत्रांक 4234 दिनांक 05.10.2009 द्वारा नई उपविधियॉ के आधार पर गठित की गयी है। दूसरे शब्दों में इन्हें हम पुराना व्यापार मंडल एवं नया व्यापार मंडल कह सकते है।

3. (i) पुराने व्यापार मंडल की प्रबंधकारिणी कमिटी में दो वर्गों से कुल 13 (तेरह) सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है –

– प्रथम एवं द्वितीय वर्ग के सदस्यों में से 1(एक) अध्यक्ष, जो दोनों वर्गों के सदस्यों (आरक्षित कोटि के व्यक्तियों सहित) से उन्हीं के द्वारा चुने जायेंगे।

– प्रथम वर्ग के सदस्यों में से प्रबंध समिति के 6 (छः) सदस्य, जो प्रथम वर्ग के सदस्यों से उन्हीं के द्वारा चुने जायेंगे।

– द्वितीय वर्ग के सदस्यों में से 6(छः) सदस्य जो द्वितीय वर्ग के सदस्यों में से उन्हीं के द्वारा चुने जायेंगे।

ज्ञातव्य हो कि पुराने व्यापार मंडल में **प्रथम वर्ग में व्यापार मंडल के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पैक्स सहित अन्य सहयोग समितियाँ एवं द्वितीय वर्ग में व्यापार मंडल के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तिगत किसान सदस्य के रूप में सम्मिलित** रहती हैं।

बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना हैं :-

(i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।

(ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।

(iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।

(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।

(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।

उक्त आलोक में पुराने व्यापार मंडल निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या एवं आरक्षण की स्थिति निम्न प्रकार होगी :-

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
अध्यक्ष – प्रथम एवं द्वितीय वर्ग दोनों से	01 (अनारक्षित)
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	
<u>प्रथम वर्ग (सहयोग समितियाँ) से</u>	06
• अनु0जाति/अनु0ज0जाति कोटि	01 पद (आरक्षित)
• अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद (आरक्षित)
• पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद (आरक्षित)
• सामान्य कोटि	03 पद (अनारक्षित; पुरूष-2 एवं महिला-1)
<u>द्वितीय वर्ग (व्यक्तिगत किसान) से</u>	06
• अनु0जाति/अनु0ज0जाति कोटि	01 पद (आरक्षित)
• पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद (आरक्षित)
• अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद (आरक्षित)
• सामान्य कोटि	03 पद (अनारक्षित; पुरूष-2 एवं महिला-1)

(ii) नये व्यापार मंडल की प्रबंधकारिणी कमिटी में दो वर्गों से कुल 14 (चौदह) सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है –

– प्रथम वर्ग के सदस्यों में से 01(एक) अध्यक्ष (Chairman) तथा प्रबंध समिति के 10 (दस) सदस्य, जो प्रथम वर्ग के सदस्यों से उन्हीं के द्वारा चुने जायेंगे।

– द्वितीय वर्ग के सदस्यों में से 03(तीन) सदस्य जो द्वितीय वर्ग के सदस्यों में से उन्हीं के द्वारा चुने जायेंगे।

ज्ञातव्य हो कि **प्रथम वर्ग में व्यापार मंडल के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सभी पंचायत स्तरीय प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पैक्स) एवं द्वितीय वर्ग में व्यापार मंडल के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अन्य सहकारी समितियाँ सदस्य के रूप में सम्मिलित** रहती हैं।

जैसा कि उपर में वर्णित है कि बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम-6, 2013) द्वारा अधिनियम-VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में दिये गये निदेशों के आलोक में आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है, तदनुसार नये व्यापार मंडल की प्रबंधकारिणी कमिटि में निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या एवं आरक्षण की स्थिति निम्न प्रकार होगी:-

पद	**निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या**
<u>प्रथम वर्ग से</u>	
अध्यक्ष	01 (अनारक्षित)
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	10
• अनु0जाति/अनु0ज0जाति कोटि	02 पद (आरक्षित; पुरूष-1 एवं महिला-1)
• पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद (आरक्षित)
• अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि	02 पद (आरक्षित; पुरूष-1 एवं महिला-1)
• सामान्य कोटि	05 पद (अनारक्षित; पुरूष-3 एवं महिला-2)
<u>द्वितीय वर्ग से</u>	
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	03
• अनु0जाति/अनु0ज0जाति कोटि	01 पद (आरक्षित)
• सामान्य कोटि	02 पद (अनारक्षित; पुरूष-1 एवं महिला-1)

4. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 4 एवं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन व्यापार मंडलों के निर्वाचन के समुचित संचालन हेतु प्राधिकार निम्नांकित आदेश देता है –

4.1 **सूचना का प्रकाशन** –

(1) प्राधिकार द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों का संचालन कराया जायेगा।

(2) प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संलग्न **प्रपत्र–1** में निर्वाचन संबंधी सूचना निर्गत की जायेगी, जिसमें नामांकन देने की तिथि, संवीक्षा की तिथि, अभ्यर्थिता वापसी की तिथि, विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन, मतदान तथा मतगणना की तिथि और स्थान आदि का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। सूचना में निर्वाचन पदाधिकारी तथा उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम और पता भी उल्लिखित रहेगा।

(3) प्रपत्र–1 की सूचना का प्रकाशन करने की तिथि से मतदान तथा मतगणना तिथि तक का कार्यक्रम प्राधिकार द्वारा निर्धारित कर सभी संबंधित को यथासमय संसूचित किया जाएगा। इस संबंध में प्राधिकार द्वारा आधिकारिक विज्ञप्ति भी प्रकाशित की जायेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)/ निर्वाचन पदाधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वे प्राधिकार द्वारा निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार अपने स्तर से करा दें। संबंधित व्यापार मंडल के सचिव/ प्रबंधक का भी यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना व्यापार मंडल के सदस्यों तक अवश्य पहुँच जाय।

(4) सूचना का प्रकाशन संबंधित व्यापार मंडल के कार्यालय के सूचना पट, निर्वाचन पदाधिकारी के सूचना पट तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

4.2 **नामांकन पत्र दाखिल किया जाना** –

कोई व्यक्ति किसी स्थान पर निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकेगा यदि –

(1) उसका नाम अंतिम मतदाता सूची में नहीं हो, या

(2) संगत अधिनियम, नियमावली या सोसाइटी की उपविधियों के प्रावधानों के अधीन वह निर्वाचन हेतु अयोग्य है।

ज्ञातव्य है कि बिहार सहकारी सोसायटी नियमावली, 1959 के नियम 23(2) के अनुसार **निम्न अयोग्यता [उप कंडिका (क) से (ड.) तक] वाले किसी संबद्ध समिति के डेलीगेट व्यापार मंडल निर्वाचन में मतदाता तो बन सकते हैं, किन्तु अध्यक्ष अथवा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य पद के उम्मीदवार नहीं बन सकते**, यदि

(क) संबद्ध सोसाईटी नामांकन भरने की तिथि को उसके द्वारा लिये गये किसी प्रकार के ऋण के संबंध में उप विधियों में यथाविहित अवधि के लिए या किसी भी हालत में तीन माह से अधिक की अवधि के लिए सोसायटी का व्यतिक्रमी हो या किसी अन्य बकाये के संबंध में सोसायटी का व्यतिक्रमी भी हो या किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसायटी का व्यतिक्रमी हो, अथवा

(ख) उसे सोसायटी में किये गये किसी निवेश अथवा उससे लिये गये किसी ऋण को छोड़कर सोसायटी के साथ किये गये किसी अस्तित्वयुक्त संविदा में या सोसायटी द्वारा बेची गयी या खरीदी गयी किसी सम्पति में अथवा सोसायटी में किसी संव्यवहार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हित हो, अथवा

(ग) उसके विरुद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी से संबंधित अधिभार की कोई कार्यवाही लंबित हो, अथवा

(घ) उसके विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत सोसायटी, जिसकी प्रबंध समिति में निर्वाचित होने के लिए वह उम्मीदवार हो, के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई जांच-पड़ताल लंबित हो, अथवा

(ड.) उसके विरूद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई दांडिक कार्यवाही लंबित हो, जिसमें संज्ञान ले लिया गया है।

4.2.1 इच्छुक सदस्यों द्वारा नामांकन पत्र **प्रपत्र-2** में निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। स्पष्ट किया जाता है कि **व्यापार मंडल की मतदाता सूची में अंकित समितियों के अध्यक्ष ही समिति के डेलीगेट के रूप में विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र भर सकते हैं। नामांकन पत्र पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे के बीच निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में दाखिल किया जायेगा।** अगर किन्हीं प्राथमिक सहयोग समिति के अध्यक्ष के नाम के स्थान पर सिर्फ अध्यक्ष पदनाम उल्लिखित किया गया है, तो **संबंधित समिति के अध्यक्ष को सादे कागज में निर्वाचन पदाधिकारी को आवेदन देकर उक्त सूची में अपना नाम जोड़ देने का अनुरोध करना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ स्वयं अभिप्रमाणित (self attested) फोटोयुक्त निर्वाचन प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। ऐसा आवेदन नामांकन शुरू होने के एक दिन पूर्व तक ही दिया जा सकेगा।**

4.2.2 प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक प्रस्तावक तथा एक समर्थक का होना आवश्यक है। प्रस्तावक तथा समर्थक अभ्यर्थी से भिन्न संबंधित मतदाता सूची में अंकित कोई अन्य मतदाता होंगे। ग्रूप-1 के पदों के लिए प्रस्तावक अथवा समर्थक का नाम ग्रूप-1 की मतदाता सूची में तथा ग्रूप-2 के पदों के लिए प्रस्तावक अथवा समर्थक का नाम ग्रूप-2 की मतदाता सूची में रहना आवश्यक है। ध्यान रहे कि ग्रूप-1 का कोई व्यक्ति ग्रूप-2 से न तो उम्मीदवार बन सकता है, न ग्रूप-2 से किसी उम्मीदवार का प्रस्तावक या समर्थक। उसी प्रकार ग्रूप-2 का कोई व्यक्ति ग्रूप-1 से न तो उम्मीदवार बन सकता है, न ही ग्रूप-1 के किसी उम्मीदवार का प्रस्तावक या समर्थक।

4.2.3 संवीक्षा के दौरान अनावश्यक कार्यभार नहीं होने पाये, इसलिए निर्वाचन पदाधिकारी नामांकन पत्र प्राप्त करने के दौरान ही संलग्न **अनुसूची-1** में चेकलिस्ट के आधार पर जाँच कर लेगा कि नामांकन पत्र में आवश्यक सभी प्रविष्टियाँ की गई हैं, उसके साथ आवश्यक सभी कागजात दाखिल किये गये हैं तथा उसपर अभ्यर्थी, प्रस्तावक तथा समर्थक का हस्ताक्षर अंकित है। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के साथ उस तिथि का भी उल्लेख रहेगा जिस दिन उनके द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है।

4.2.4 यदि प्रस्तुत नामांकन पत्र में कोई लिपिकीय भूल हो या कोई सूचना नहीं दी गई हो तो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को सुझाव दिया जायेगा कि वे पाई गई खामियों का सुधार कर ही नामांकन पत्र दाखिल करें। परन्तु यदि ऐसा कहने पर भी अभ्यर्थी नामांकन पत्र को दुरूस्त करने के लिए तैयार नहीं हो, तो उस परिस्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नामांकन पत्र को यथास्थिति प्राप्त किया जायेगा।

4.2.5 ग्रूप-1 एवं ग्रूप-2 के पदों के लिए **प्रपत्र-2** में नामांकन पत्र अभ्यर्थी द्वारा **व्यक्तिगत रूप** से **प्रपत्र-1** में यथाउल्लिखित स्थान, तिथि, समय एवं पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया जायेगा। प्रपत्र-2 के ऊपर बड़े अक्षरों में अभ्यर्थी द्वारा यह अवश्य अंकित कर दिया जायेगा कि पद ग्रूप-1 का है या ग्रूप-2 का। एक व्यक्ति एक पद के लिए अधिकतम दो सेट नामांकन पत्र ही दाखिल कर सकता है। नामांकन पत्र प्राप्त होते ही नामांकन पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के निचले भाग में आवश्यक प्रविष्टियाँ निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा की जायेंगी। उसमें नामांकन पत्र की क्रम संख्या भी अंकित रहेगी। सबसे पहले प्राप्त नामांकन पत्र पर क्रम संख्या 1 होगी और उसके पश्चात जैसे-जैसे नामांकन पत्र दाखिल किया जायेगा, वैसे-वैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आदि करके क्रम संख्या अंकित की जायेगी। प्रत्येक नामांकन पत्र को एक क्रम संख्या आवंटित की जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही समय दो नामांकन पत्र दाखिल किये जाते हैं, तो उक्त दोनों नामांकन पत्र को अलग-अलग क्रम संख्या आवंटित की जायेगी। उदाहरणस्वरूप, यदि अभ्यर्थी अजय कुमार सिन्हा द्वारा दायर प्रथम नामांकन पत्र को क्रम संख्या 3 आवंटित

की जाती है तो उनके द्वारा साथ-साथ दायर दूसरे नामांकन पत्र को क्रम संख्या 4 आवंटित की जायेगी। पर यदि अभ्यर्थी अजय कुमार सिन्हा द्वारा प्रथम नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अन्य चार अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र दाखिल हो गये हों और श्री सिन्हा ने अपना दूसरा नामांकन पत्र उनके बाद दाखिल किया हो तो दूसरे नामांकन पत्र पर क्रम संख्या 4 अंकित नही होकर 4, 5, 6,7 के बाद क्रम संख्या 8 अंकित की जायेगी।

4.2.6 निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निश्चित रूप से नामांकन पत्र के निचले भाग में विहित प्रपत्र में दायर किये गये नामांकन पत्र के बारे में एक प्राप्ति रसीद संबंधित अभ्यर्थी को दी जायेगी जिसपर अंकित क्रम संख्या वही होगी जो नामांकन पत्र पर अंकित की गई है। प्राप्ति रसीद में नामांकन पत्र की संवीक्षा हेतु निर्धारित तिथि, अवधि एवं स्थान का भी उल्लेख रहेगा।

4.2.7 नये व्यापार मंडल में अध्यक्ष सहित कुल 14 स्थानों के लिये निर्वाचन कराया जाना है। अध्यक्ष का पद अनारक्षित है, किन्तु दोनों वर्गों से प्रबंध समिति के कुल 13 स्थानों पर चुनाव कराया जाना है, जिसमें प्रथम वर्ग से प्रबंधकारिणी समिति के 10 पद एवं द्वितीय वर्ग से प्रबंधकारिणी समिति के 3 पद का चुनाव होना है। दोनों वर्गो से आरक्षण की स्थिति निम्न प्रकार है:- प्रथम वर्ग के विरूद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि से 2 पद (आरक्षित; पुरूष-1 एवं महिला-1), पिछड़ा वर्ग कोटि से 1 पद (आरक्षित), अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि से 2 पद (आरक्षित; पुरूष-1 एवं महिला-1) एवं सामान्य कोटि से 5 पद (अनारक्षित, पुरूष-3 एवं महिला-2) तथा द्वितीय वर्ग के विरूद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि से 1 पद (आरक्षित) एवं सामान्य कोटि से 2 पद (अनारक्षित, पुरूष-1 एवं महिला-1) है। आरक्षित कोटियों से वही सदस्य उम्मीदवार बन सकते हैं, जो उक्त कोटि के अन्तर्गत आते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-2)/अति पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-1) कोटि से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्गत मूल जाति प्रमाण पत्र अपने नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। महिला कोटि से आरक्षित स्थानों के लिए केवल महिला सदस्य ही नामांकन पत्र भर सकती हैं, अनारक्षित कोटि से सदस्य पद के शेष स्थानों के लिए किसी भी कोटि के व्यक्ति (पुरूष तथा महिला) यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-2)/अति पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-1)/अन्य सामान्य जाति के पुरूष तथा महिला सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं।

4.2.8 पुराने एवं नये दोनों तरह के व्यापार मंडलों में सामान्य कोटि अभ्यर्थियों के लिए नामांकन शुल्क ₹ 2000/- तथा आरक्षित कोटि (महिला सहित) के लिए नामांकन शुल्क ₹ 1000/- की राशि होगी। नामांकन शुल्क की राशि संबंधित व्यापार मंडल सहयोग समितियों के कार्यालय में जमा की जायेगी तथा इस प्रकार से प्राप्त राशि व्यापार मंडल के खाते में जमा होगी। व्यापार मंडल में राशि जमा करने में कोई कठिनाई या असुविधा की स्थिति में नामांकन शुल्क की राशि निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में भी जाम करायी जा सकेगी। जो राशि जमा किये जाने के परिणाम स्वरूप समुचित रसीद निर्गत करेगें। निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करायी गयी। नामाकन शुल्क की राशि निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात यथाशीघ्र संबंधित व्यापार मंडल के खाते में जमा करा दी जायेगी। नामांकन शुल्क की राशि किसी भी परिस्थिति में अप्रत्यापर्णीय (Non -refundable) होगी।

4.2.9 **व्यापार मंडल का कोई सदस्य अपने ग्रूप से एक से अधिक पदों, किन्तु दो से अधिक नहीं, के लिए नामांकन दे सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी प्रबंधकारिणी समिति के एक से ज्यादा पद के लिये चुना जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह सिर्फ एक ही पद धारण करने की इच्छा प्रकट करेगा और संबंधित सोसाइटी के शेष पद को निर्वाचन परिणाम प्रकाशित होने के 24 घंटे के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित सूचना देकर खाली करेगा, और ऐसे अभ्यर्थी द्वारा छोड़े गये ऐसे पद दूसरे ऐसे अभ्यर्थी द्वारा भरे जायेंगे जो उस अभ्यर्थी के बाद दूसरा अधिकतम मत प्राप्त करने वाला रहा है: परन्तु यह भी कि ऐसे अभ्यर्थी द्वारा विहित सीमा के अन्दर इच्छा व्यक्त नहीं की जाती है तो निर्वाचन पदाधिकारी स्वविवेक का प्रयोग करेगा और वैसे पद को उक्त अभ्यर्थी द्वारा खाली घोषित करेगा (बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 का नियम 21-ण)।**

4.2.10 नामांकन पत्र दाखिल करने की अवधि की समाप्ति के तुरन्त बाद निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा **प्रपत्र-घ** में **वर्गवार** एवं **पदवार** एक विवरणी तैयार की जायेगी जिसमें दायर किये गये सभी नामांकन पत्र के बारे में आवश्यक ब्यौरा रहेगा और **प्रपत्र-घ** की एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट में या दीवार की किसी सुगोचर जगह पर चिपका दी जायेगी ताकि लोगों को मालूम हो जाय कि किस पद के लिए किस-किस सदस्य द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है तथा इस प्रकार नामांकन पत्र में प्रस्तावक एवं समर्थक के रूप में किस-किस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि छल का सहारा लेकर किसी व्यक्ति द्वारा नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया जा सके।

नामांकन कौन दे सकता है ?

- वैसे सभी व्यक्ति नामांकन दे सकते हैं जिनका नाम संबंधित व्यापार मंडल की मतदाता सूची में सम्मिलित है और जो बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम 23(2) में उल्लिखित अयोग्यताओं अथवा व्यापार मंडल की उपविधियों में उल्लिखित अयोग्यताओं के अधीन नहीं है।
- नामांकन प्रपत्र-2 में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया जायेगा।
- एक व्यक्ति एक पद के लिये अधिकतम दो (02) नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है किन्तु नामांकन शुल्क के रूप में उसे एक ही बार राशि जमा करनी होगी।
- नामांकन देने वाले व्यक्ति के लिए एक प्रस्तावक एवं एक समर्थक रहना आवश्यक है।

प्रस्तावक एवं समर्थक कौन होगा?

- जिसका नाम संबंधित व्यापार मंडल की मतदाता सूची में संगत वर्ग में सम्मिलित है।
- कोई व्यक्ति पद विशेष में एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए प्रस्तावक या समर्थक नहीं बन सकता है, **किन्तु दूसरे पद के लिए निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी के लिए वह पुनः प्रस्तावक या समर्थक बन सकता है। जहाँ सदस्यों की संख्या 30 या उससे कम है, वहाँ प्रस्तावक/ समर्थक होने के लिए इस शर्त्त को शिथिल किया जाता है। ऐसी स्थिति में किसी उम्मीदवार का प्रस्तावक/ समर्थक एक से अधिक उम्मीदवार का भी समर्थक/ प्रस्तावक बन सकता है।**
- जो व्यक्ति किसी पद विशेष के लिए स्वयं अभ्यर्थी है वह उसी पद के लिए खड़े किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए प्रस्तावक/समर्थक नहीं बन सकता है। **किन्तु जहाँ सदस्यों की संख्या 30 या उससे कम है, वहाँ प्रस्तावक/ समर्थक होने के लिए इस शर्त्त को शिथिल किया जाता है। ऐसी स्थिति में कोई उम्मीदवार, अगर वह चाहे, उसी पद के लिए किसी दूसरे उम्मीदवार का भी प्रस्तावक/ समर्थक बन सकता है।**
- सामान्यतया पद विशेष के किसी अभ्यर्थी के लिए कोई प्रस्तावक या समर्थक स्वयं उस पद के लिए अभ्यर्थी नहीं हो सकता है किन्तु सदस्यों की संख्या 30 से कम होने पर यह बंधेज लागू नहीं होगा।
- प्रस्तावक या समर्थक द्वारा किसी नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर देने के पश्चात वह नहीं कह सकता है कि वह उस अभ्यर्थी का प्रस्तावक/समर्थक नहीं बनना चाहता है।

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थी तथा उसके प्रस्तावक/समर्थक को उपर्युक्त शर्तों की जानकारी दे दी जानी चाहिए तथा स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिए कि कोई गलत सूचना देने अथवा गलत काम करने पर अभ्यर्थी का नामांकन अस्वीकृत करने के साथ-साथ अभ्यर्थी तथा प्रस्तावक/समर्थक के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दायर करने की कार्रवाई भी की जायेगी।

नामांकन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा क्या-क्या कागजात संलग्न किये जायेंगे ?

- मतदाता सूची में अभ्यर्थी के नाम की प्रविष्टि की सत्यापित प्रति। **निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची की प्रविष्टि की प्रति निर्गत करने एवं उसे सत्यापित करने की शक्ति किसी अपने अधीनस्थ पदाधिकारी/ पर्यवेक्षक को प्रत्यायोजित की जा सकती है। संबंधित व्यापार मंडल के सचिव/ प्रबंधक भी मतदाता सूची की प्रविष्टि के विवरण को सत्यापित करने हेतु प्राधिकृत किये जाते हैं।**
- प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी/ जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-2)/ अति पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-1) एवं आरक्षित कोटि की महिला का जाति प्रमाण पत्र **(सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के मामले में लागू नहीं)**।
- विहित **प्रपत्र-क** में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि अथवा किसी न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों, परिसम्पतियों, शैक्षणिक योग्यता आदि एवं संगत सहकारिता अधिनियम/नियमावली में उल्लिखित अयोग्यता के अधीन नहीं होने के संबंध में **सशपथ** विवरण।
- **''प्रपत्र-ख''** में बायोडाटा से संबंधित सूचनाएँ।
- **''प्रपत्र-ग''** में मतदाता एवं समिति का डेलीगेट होने का घोषणा पत्र।
- कंडिका-4.2.8 के आलोक में नामांकन शुल्क के रूप में व्यापार मंडल के सचिव/ प्रबंधक के पास यथास्थिति जमा करायी गयी ₹ 2000/- या ₹ 1000/- की राशि की रसीद।
- स्वयं अभिप्रमाणित फोटोयुक्त निर्वाचन प्रमाण पत्र की प्रति (पुराने व्यापार मंडल के व्यक्तिगत सदस्य पर लागू नहीं होगा)।

नामांकन पत्र प्राप्त करते समय निर्वाचन पदाधिकारी जिन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देगा

- नामांकन पत्र में कर्णांकित स्थानों पर अभ्यर्थी तथा उसके प्रस्तावक/समर्थक का हस्ताक्षर है अथवा नहीं।
- नामांकन पत्र में अभ्यर्थी, उसके प्रस्तावक एवं समर्थक के नाम तथा क्रमांक वही हैं जो मतदाता सूची में अंकित है।
- नाम/संख्या में लिपिकीय भूल को नजरअंदाज किया जायेगा।
- ऐसी लिपिकीय भूल को मतदाता सूची के अनुरूप शुद्ध करने का आदेश दिया जा सकेगा।
- अगर मतदाता सूची में ही कोई तुच्छ/असारभूत लिपिकीय भूल हो जैसे पूरे नाम से अंश या टाइटिल छूट गया हो तो निर्वाचन पदाधिकारी स्वयं सन्तुष्ट हो लेने के पश्चात ऐसे नामांकन पत्र को प्राप्त करेगा।
- अनुसूची-1 में संलग्न चेकलिस्ट से भी संतुष्ट हो लेगा कि सभी प्रविष्टियाँ भर दी गई हैं अथवा कागजात दाखिल कर दिये गये हैं।
- अगर नामांकन पत्र सही ढंग से नहीं भरा गया है तो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उसे संबंधित अभ्यर्थी को वापस करते हुए त्रुटियों को सुधारकर पुनः दाखिल करने का परामर्श दिया जाना चाहिए ताकि संवीक्षा के समय उक्त त्रुटियों के आधार पर नामांकन पत्र को रद्द करने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। अगर परामर्श दिये जाने पर भी अभ्यर्थी नामांकन पत्र को दुरूस्त करने के लिए तैयार नहीं हो तो उस स्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नामांकन पत्र यथा स्थिति प्राप्त किया जायेगा। **यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जिसे निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा निष्ठापूर्वक किया जाना चाहिए।**

निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए विशेष हिदायत

- किसी भी नामांकन भरने वाले व्यक्ति से आवासीय प्रमाण-पत्र अथवा चरित्र प्रमाण-पत्र की मांग नहीं की जायेगी।
- किसी भी अभ्यर्थी या उसकी समिति से बकाया रहित प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) की मांग नहीं की जायेगी।
- समिति/ अभ्यर्थी के डिफाल्टर होने अथवा अन्य बिन्दु पर अयोग्यता होने से संबंधित किसी आपत्ति के साक्ष्य में आवश्यक कागजत प्रस्तुत करने की जिम्मेवारी आपत्तिकर्त्ता की होगी।

4.2.11 **नामांकन पत्र की संवीक्षा** -

(1) नामांकन पत्र के दाखिले की प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-2 में अंकित समय, तिथि एवं स्थान पर नामांकन पत्र की संवीक्षा की जायेगी। वस्तुतः प्रपत्र-2 में नामांकन पत्र की प्राप्ति के रूप में जो रसीद अभ्यर्थी को दी जायेगी, उसमें संवीक्षा की तिथि एवं समय इस प्रकार से निर्धारित कर अंकित किया जायेगा ताकि संवीक्षा के दौरान अनावश्यक भीड़-भाड़ नही होने पाये। **संवीक्षा वर्गवार एवं पदवार निम्न क्रम में की जायेगी - अध्यक्ष/ सामान्य कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य/अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य/ अति पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य तथा पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य।** प्रत्येक पद हेतु दायर किये गये नामांकन पत्र की संवीक्षा क्रमानुसार की जायेगी अर्थात् किसी पद विशेष के लिए सर्वप्रथम क्रम संख्या 1 के नामांकन पत्र की संवीक्षा की जायेगी और उसके पश्चात क्रम संख्या 2 तथा उसके पश्चात क्रम संख्या 3 आदि के रूप में नामांकन पत्र की संवीक्षा की जायेगी। **नामांकन पत्र की संवीक्षा 11 बजे प्रारंभ की जायेगी और 3 बजे अपराह्न तक पूरी कर ली जायेगी।** यदि किसी अभ्यर्थी विशेष के बारे में आपत्ति की जाती है तो उस स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को कुछ वक्त दिया जायेगा ताकि वे उठाई गई आपत्तियों का जवाब दे सकें। **निर्वाचन पदाधिकारी स्वविवेक से निर्णय लेगा कि संबंधित अभ्यर्थी को कितना वक्त देना चाहिए, पर किसी भी परिस्थिति में यह वक्त संवीक्षा हेतु निर्धारित तिथि के अंदर ही सीमित रहेगा।**

(2) संवीक्षा करने का अधिकार निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी दोनों को रहेगा, **परन्तु संवीक्षा के दौरान नामांकन पत्र स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार केवल निर्वाचन पदाधिकारी को ही रहेगा।** उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संवीक्षा किये जाने पर जब वह पूरी तरह से संतुष्ट हो जाय कि अमुक नामांकन पत्र अस्वीकृत करने योग्य है, तो उसके संबंध में उप निर्वाचन पदाधिकारी एक स्पष्ट प्रतिवेदन निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसके बाद निर्वाचन पदाधिकारी इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेगा।

(3) नामांकन पत्र की संवीक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसमें किसी प्रकार की गलती या लापरवाही होने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द होने के अतिरिक्त अनावश्यक परेशानियाँ भी पैदा हो सकती हैं। **अतएव यह आवश्यक है कि निर्वाचन पदाधिकारी पूरी गंभीरता के साथ नामांकन पत्र की संवीक्षा करें** ताकि इसपर किसी को कोई शिकायत करने की गुंजाइश नहीं होने पाये। स्पष्टतः संवीक्षा की कार्रवाई में पूरी पारदर्शिता रहनी चाहिए ताकि अभ्यर्थी तथा अन्य सदस्यों को यह महसूस हो कि निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता एवं निष्पक्षता बरकरार है। संवीक्षा की शुद्धता एवं निष्पक्षता के हित में संवीक्षा के दौरान अभ्यर्थी तथा उनके प्रस्तावक एवं समर्थक मौजूद रह सकते हैं। अभ्यर्थी को अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। **संवीक्षा अवधि के दौरान**

संबंधित व्यापार मंडल के सचिव/ प्रबंधक निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर उन्हें निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संवीक्षा स्थल पर बुलाया जा सकेगा। वर्तमान व्यापार मंडल के अध्यक्ष/ प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य को किसी भी परिस्थिति में, अगर वे स्वयं अभ्यर्थी नहीं हो, संवीक्षा के समय उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को संवीक्षा के दौरान मौजूद रहने की अनुमति नही दी जायेगी और यदि अभ्यर्थी द्वारा अन्य किसी व्यक्ति को मौजूद रहने के लिए दबाव दिया जाता है तो उस परिस्थिति में उनके द्वारा दायर किये गये नामांकन पत्र की संवीक्षा तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि इस प्रकार अनधिकृत व्यक्ति को संवीक्षा के लिए विहित स्थान से बाहर नहीं कर दिया जाता है।

(4) आम तौर पर यह पाया जाता है कि दायर किये गये नामांकन पत्रों में से कई नामांकन पत्र कोई-न-कोई कारणवश अस्वीकृत हो जाते हैं। किसी नामांकन पत्र को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का अधिकार केवल निर्वाचन पदाधिकारी को ही प्रदत्त है। कतिपय त्रुटियों के कारण निर्वाचन पदाधिकारी के लिए कुछ नामांकन पत्र को अस्वीकृत करने की अप्रिय कार्रवाई करना आवश्यक हो सकता है। किसी नामांकन पत्र के बारे में आपत्ति किये जाने पर या स्वप्रेरणा से आवश्यक छानबीन के उपरांत निम्नलिखित आधारों पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संबंधित नामांकन पत्र को अस्वीकृत किया जा सकेगा –

(i) अभ्यर्थी संगत अधिनियम या नियमावली या उप विधियों के प्रावधानों के तहत किसी पद के लिए निर्वाचित किये जाने के अयोग्य है।

(ii) प्रस्तावक या समर्थक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अयोग्य है।

(iii) नामांकन पत्र में अंकित अभ्यर्थी या प्रस्तावक या समर्थक के बारे में मतदाता सूची का क्रमांक संबंधित अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में अंकित वास्तविक क्रमांक के अनुसार नहीं है। परन्तु मतदाता सूची के क्रमांक में या अन्य प्रविष्टियों में विसंगतियाँ रहने के बावजूद यदि निर्वाचन पदाधिकारी सन्तुष्ट हो जाता है कि नामांकन पत्र में उल्लिखित अभ्यर्थी, प्रस्तावक एवं समर्थक वास्तव में वही व्यक्ति है, जिनका नाम दायर किये गये नामांकन पत्र में अंकित है, तो उस स्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी इस प्रकार नामांकन पत्र को अस्वीकृत नहीं करेगा बशर्ते कि अभ्यर्थी, प्रस्तावक तथा समर्थक अन्यथा अयोग्य नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि **संबंधित अभ्यर्थी, प्रस्तावक एवं समर्थक की पहचान एवं योग्यता के बारे में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सन्तुष्ट होना सबसे महत्वपूर्ण है।**

(iv) नामांकन पत्र पर अभ्यर्थी या प्रस्तावक या समर्थक का हस्ताक्षर सही नहीं है या इस प्रकार हस्ताक्षर छलपूर्वक प्राप्त किया गया है।

(v) नामांकन पत्र के साथ निम्नांकित कागजात दायर नहीं किया गया हो –

- आरक्षित कोटि के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र।
- नामांकन शुल्क के रूप में यथास्थिति ₹ 2000/- या ₹ 1000/- जमा किये जाने संबंधी रसीद।
- मतदाता सूची में अभ्यर्थी के नाम की प्रविष्टि की सत्यापित प्रति।
- स्वयं अभिप्रमाणित फोटोयुक्त निर्वाचन प्रमाण पत्र की प्रति (पुराने व्यापार मंडल के व्यक्तिगत सदस्य पर लागू नहीं होगा)।

(vi) अभ्यर्थी/प्रस्तावक/समर्थक का नाम अंतिम मतदाता सूची में अंकित रहने की स्थिति में मतदाता सूची की संबंधित प्रविष्टि/प्रविष्टियों की अभिप्रमाणित प्रति को निर्णयात्मक

साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जायेगा जिसके आधार पर अभ्यर्थी/प्रस्तावक/समर्थक द्वारा नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किये जाने पर ऐसे नामांकन पत्र को स्वीकार कर लिया जायेगा बशर्ते कि ऐसा नामांकन पत्र दूसरे अन्य आधारों पर अस्वीकृत करने योग्य नहीं पाया गया हो। निर्वाचन प्रमाण पत्र की प्रति के मामले में इसका मिलान संवीक्षा के दिन मूल निर्वाचन प्रमाण पत्र से कर लिया जायेगा।

(vii) कोई भी अभ्यर्थी द्वारा किसी पद विशेष के लिए अधिकतम दो नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। संवीक्षा के दौरान अगर ऐसा पाया जाता है कि दाखिल किये गये दो नामांकन पत्रों में से एक नामांकन पत्र गलत है किन्तु दूसरा नामांकन पत्र सभी तरह से सही है, तो उस स्थिति में जो नामांकन पत्र सही पाया गया हो, उसे स्वीकृत कर लिया जायेगा।

(viii) कोई नामांकन पत्र किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधी भूल या किसी ऐसी त्रुटि के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा जो सारभूत न हो। इस संबंध में कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं :-

- मान लिया जाये कि अभ्यर्थी राम पुकार सिंह द्वारा नामांकन पत्र में अपना नाम राम पुकार सिंह दर्ज किया गया है और अपना हस्ताक्षर सिर्फ राम पुकार के रूप में किया है तो इसे लिपिकीय भूल माना जायेगा और तदनुसार इस भूल के कारण उनका नामांकन पत्र अस्वीकृत नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी के प्रस्तावक या समर्थक के बारे में भी इस प्रकार लिपिकीय भूल के लिए संबंधित नामांकन पत्र को अस्वीकृत नहीं किया जायेगा;
- महिला अभ्यर्थी के बारे में विशेष ध्यान देना आवश्यक है। आम तौर पर एक ही महिला का नाम विभिन्न प्रकारों से लिखा जाता है। उदाहरणस्वरूप, निर्मला सिंह का नाम विभिन्न प्रसंग में निर्मला कुमारी, निर्मला कुमारी सिंह, निर्मला आदि के रूप में लिखा जाता है और उनका हस्ताक्षर भी इस तरह से किया जाता है। यह संभव है कि नामांकन पत्र में अभ्यर्थी का नाम श्रीमती निर्मला सिंह लिखा हुआ है पर हस्ताक्षर में सिर्फ निर्मला या निर्मला कुमारी लिखा हुआ है। इस प्रकार की विसंगतियों को लिपिकीय भूल के रूप में मान्यता दी जायेगी बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी के पति/पिता का नाम, पता आदि से यह साबित हो जाता है कि वास्तव में श्रीमती निर्मला सिंह एवं निर्मला कुमारी सिंह या निर्मला आदि एक ही अभ्यर्थी है। इसी प्रकार अभ्यर्थी के प्रस्तावक या समर्थक के बारे में भी अनुरूप निर्णय लिया जायेगा।
- किसी अभ्यर्थी द्वारा उनके पिता के नाम के शुरू में स्व॰ जोड़ दिया गया है जबकि मतदाता सूची में उनके पिता के नाम के शुरू में स्व॰ नहीं लिखा हुआ है तो इसे लिपिकीय भूल मानकर संबंधित नामांकन पत्र को अस्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- नामांकन पत्र में अभ्यर्थी/प्रस्तावक/समर्थक के बारे में मतदाता सूची का जो क्रमांक अंकित किया गया है तथा मतदाता सूची में जो क्रमांक दर्शाया गया है, उसमें अगर कोई विसंगति है, तो सिर्फ उसी आधार पर नामांकन पत्र को अस्वीकृत नहीं किया जायेगा बशर्ते कि अभ्यर्थी का पता तथा अन्य साक्ष्य के आधार पर अभ्यर्थी तथा प्रस्तावक एवं समर्थक की पहचान स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाये तथा अभ्यर्थी, प्रस्तावक एवं समर्थक अन्यथा अयोग्य नहीं हो।
- संवीक्षा के समय किसी अभ्यर्थी/प्रस्तावक/समर्थक की सिर्फ अनुपस्थिति के कारण नामांकन पत्र रद्द नहीं किया जायेगा। अर्थात समुचित आधार पर ही नामांकन पत्र

अस्वीकृत किया जा सकता है और उसके लिए अभ्यर्थी/प्रस्तावक/समर्थक को उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है बशर्ते कि उन्हें पहले से लिखित सूचना दी गई हो कि किस तिथि, समय एवं स्थान पर उनके द्वारा दाखिल नामांकन पत्र की समीक्षा की जायेगी।

- लिपिकीय भूल या जिस त्रुटि को सारभूत नहीं कहा जा सकता है के बारे में कुछ एक उदाहरण ऊपर दिये गये हैं जो कि सम्पूर्ण (exhaustive) नहीं माने जा सकते हैं। आम तौर पर यह देखना है कि अभ्यर्थी तथा उसके प्रस्तावक या समर्थक की पहचान स्थापित हो रही है या नहीं । सिर्फ लिपिकीय भूल या जो त्रुटि सारभूत नहीं है उसके आधार पर कोई नामांकन पत्र अस्वीकृत नहीं किया जायेगा बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी तथा उनके प्रस्तावक या समर्थक की पहचान नि:संदेह रूप से स्थापित हो जाती है।

(5) अगर नामांकन पत्रों की संवीक्षा के दौरान किसी अन्य सदस्य द्वारा यह बात निर्वाचन पदाधिकारी के संज्ञान में सबूत सहित लायी जाती है कि नामांकन भरने वाला व्यक्ति या उसकी समिति अपने नामांकन पत्र भरने की तिथि को वस्तुत: किसी सहकारिता ऋण का व्यतिक्रमी है तो संपुष्ट हो लेने के पश्चात वह ऐसे अभ्यर्थी का नामांकन रद्द कर सकता है। **पर इस संबंध में कोई भी कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय, पटना के प्रेक्षण के आलोक में राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्रांक 519 दिनांक 18-03-2010 द्वारा निर्गत परिपत्र (बकाया रहित प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में) के अधीन ही की जा सकेगी।** सुलभ प्रसंग हेतु उपर्युक्त परिपत्र परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न है।

(6) उपर्युक्त तरीकों से नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के उपरान्त निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर आवश्यकतानुसार ''स्वीकृत'' या ''अस्वीकृत'' अंकित कर उसपर अपना हस्ताक्षर एवं तिथि अंकित करेगा। यदि नामांकन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है या किसी नामांकन पत्र पर आपत्ति करने पर भी उसे स्वीकृत किया जाता है तो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नामांकन पत्र पर ही इस प्रकार स्वीकृत या अस्वीकृत करने का आधार संक्षेप में अंकित किया जायेगा और उस पर उनका हस्ताक्षर तथा तिथि अंकित रहेगा और इसे पढ़कर संबंधित अभ्यर्थी/आपत्तिकर्त्ता को तत्क्षण सुनाया जायेगा। **जिस अभ्यर्थी का नामांकन अस्वीकृत हो जाता है, वह अस्वीकृति आदेश की प्रति निर्वाचन पदाधिकारी को पांच रूपये की फीस जमा करके प्राप्त कर सकेगा। संबंधित व्यापार मंडल के सचिव/ प्रबंधक संवीक्षा के दिन समिति की रसीद पुस्तिका के साथ निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे एवं निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आदेशित किये जाने पर उक्त पाँच रूपये का रसीद काटकर उस रकम को संबंधित व्यापार मंडल में जमा कर देंगे।** निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किसी नामांकन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का आदेश अन्तिम होगा, इसलिए यह आवश्यक है कि निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय पर पूरी सावधानी के साथ विचार कर ही सम्यक आदेश पारित किया जाये ताकि निर्वाचन के पश्चात, चुनाव याचिका दायर करने की स्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की खामी नहीं निकाली जा सके। स्पष्टत: नामांकन पत्र तथा उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने के बारे में निर्वाचन पदाधिकारी का आदेश चुनाव प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए यह आवश्यक है

कि निर्वाचन पदाधिकारी नामांकन पत्र से संबंधित सभी अभिलेख अपने अधीन सुरक्षित रखेंगे ताकि भविष्य में उसकी आवश्यकता होने पर उसे तुरंत उपलब्ध कराया जा सके।

4.3 **अभ्यर्थिता की वापसी**

कोई भी अभ्यर्थी दायर किये गये अपने नामांकन पत्र को वापस ले सकता है। ऐसी शिकायत प्राप्त हो सकती है कि दूसरे व्यक्ति द्वारा छल से किसी अभ्यर्थी का नाम वापस ले लिया गया है एवं संबंधित अभ्यर्थी को उसकी कोई जानकारी नही है। **अतः निर्वाचन पदाधिकारी पूरी तरह संतुष्ट हो लेंगे कि वापसी की सूचना देने वाला व्यक्ति स्वयं उम्मीदवार ही है।** अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए निश्चित की गई तिथि के अपराह्न 3 बजे से 4 बजे के बीच किसी भी समय अभ्यर्थी द्वारा अपना नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है। इस प्रकार नामांकन पत्र वापस लेने की सूचना संबंधित अभ्यर्थी द्वारा **प्रपत्र-3** में व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन पदाधिकारी को दी जायेगी और निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-3 के निचले भाग में विहित प्राप्ति रसीद दी जायेगी। इस प्रकार नामांकन पत्र को वापस लेने की सूचना निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त होने तथा उसकी प्राप्ति रसीद निर्गत करने के साथ ही तत्कालिक प्रभाव से संबंधित अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र वापस लिया समझा जायेगा और इस प्रकार अभ्यर्थिता की वापसी को अंतिम माना जायेगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थिता को वापस लेने के पश्चात उन्हें अभ्यर्थिता को वापस लेने की सूचना को रद्द करने या उस पद के निर्वाचन, जिसके लिए दाखिल किये गये नामांकन पत्र को वापस लिया गया है, में पुनः नामांकन पत्र दाखिल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। किसी अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थिता को वापस लेने की सूचना प्राप्त होने तथा उसकी प्राप्ति रसीद निर्गत करने के पश्चात निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इसके बारे में **प्रपत्र-4** में सूचना जारी कर उसे उनके कार्यालय के सूचना पट्ट में या ऐसी जगह पर चिपका दिया जायेगा ताकि अन्य लोगों को मालूम हो जाय कि किस अभ्यर्थी विशेष द्वारा अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली गई है।

4.4 **विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची**

(i) नामांकन पत्र की संवीक्षा तथा उसे वापस लेने के पश्चात जो अभ्यर्थी शेष रह गये हैं, वर्गवार एवं पदवार अलग-अलग उनकी सूची निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा **प्रपत्र-5** में तैयार की जायेगी और इस प्रकार तैयार किये गये **प्रपत्र-5** की एक-एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट में तथा संबंधित व्यापार मंडल के कार्यालय के सूचना पट्ट में या दीवार की सुगोचर जगह पर चिपका दी जायेगी जिससे लोगों को मालूम हो जाय कि व्यापार मंडल के दो वर्गों से विभिन्न कोटि के पदों के लिए कितने एवं कौन-कौन वैध अभ्यर्थी चुनाव मैदान में रह गये हैं। **प्रपत्र-5** में वैध अभ्यर्थी का नाम तथा उनका पता देवनागरी लिपि में हिन्दी में वर्णानुक्रम में अंकित किया जायेगा। वर्णानुक्रम में अभ्यर्थी का नाम अंकित करने में निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी-

- वर्णानुक्रम में किस अभ्यर्थी का नाम प्रथम अंकित किया जायेगा, वह अभ्यर्थी के प्रथम नाम (first name) के प्रथम अक्षर पर निर्भर करेगा। यदि **प्रपत्र-5** में अंकित पाँच अभ्यर्थियों में से दो अभ्यर्थियों के प्रथम नाम का प्रथम अक्षर स्वर वर्ण (यथा अक्षय कुमार तथा आनन्दी प्रसाद) हो, तो उस स्थिति में दोनो नाम वर्णानुक्रम में सबसे ऊपर आऐंगे। इन दोनों नामों में से भी सर्वप्रथम अक्षय कुमार का नाम रहेगा और उसके पश्चात आनन्दी प्रसाद का नाम अंकित किया जायेगा क्योंकि **अक्षय** का प्रथम अक्षर **अ** वर्णानुक्रम में पहले है जबकि **आनन्दी** का प्रथम अक्षर **आ** बाद में आता है।

- अगर शेष तीन अभ्यर्थियों का नाम व्यंजन वर्ण में है तो उन तीन अभ्यर्थियों का नाम स्वर वर्ण से प्रारम्भ उपर्युक्त दो अभ्यर्थियों, अक्षय कुमार तथा आनन्दी प्रसाद, के बाद अंकित किया जायेगा और इन तीन अभ्यर्थियों का नाम भी वर्णानुक्रम में अंकित किया जायेगा। मान लिया जाय इन तीन अभ्यर्थियों के नाम क्रमशः छेदीलाल पासवान, जगमोहन एवं कारू सिंह हैं। चूँकि वर्णानुक्रम में **क** के बाद **छ** तथा **छ** के बाद **ज** आता है, इसलिए कारू सिंह का

नाम पहले आयेगा और उसके पश्चात छेदीलाल पासवान का नाम एवं उसके पश्चात जगमोहन का नाम आयेगा।

- जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, अभ्यर्थी का प्रथम नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर ही वर्णानुक्रम तैयार किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में वर्णानुक्रम तय करने के लिए प्रथम नाम का द्वितीय या तत्पश्चात के अक्षर को आधार नहीं माना जायेगा।

- यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्रथम नाम का प्रथम अक्षर एक ही हो, तो इन अभ्यर्थियों द्वारा दायर किये गये नामांकन पत्र, जिसे निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा वैध पाया गया है तथा अंतिम रूप से स्वीकृत किया गया है, पर अंकित क्रम संख्या के आधार पर वर्णानुक्रम तय किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप, तीन अभ्यर्थी, यथा कमल किशोर, कन्हैया सिंह तथा कैलाश प्रसाद, के प्रत्येक का प्रथम नाम का प्रथम अक्षर **क** है और यह मान लिया जाय कि कमल किशोर के नामांकन पत्र पर क्रम संख्या 2, कन्हैया सिंह के नामांकन पत्र पर क्रम संख्या 6 एवं कैलाश प्रसाद के नामांकन पत्र पर क्रम संख्या 4 अंकित किया गया है, तो उस स्थिति में प्रपत्र-5 में सभी अभ्यर्थियों के वर्णानुक्रम में इन तीन अभ्यर्थियों का नाम जिस स्थान पर अंकित किया जाना है, उसमें इन अभ्यर्थियों में से प्रथम नाम कमल किशोर, उसके पश्चात कैलाश प्रसाद एवं उसके पश्चात कन्हैया सिंह का नाम अंकित रहेगा।

- ऐसा भी मामला हो सकता है जहां प्रपत्र-5 में अंकित अभ्यर्थियों में से दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का सम्पूर्ण नाम एक ही हो, तो ऐसी स्थिति में ऊपर की कंडिका के अनुसार इन अभ्यर्थियों का आपसी वर्णानुक्रम तय किया जायेगा और तदनुसार उनका नाम प्रपत्र-5 में अंकित किया जायेगा। पर इन्हें अलग-अलग पहचान के लिए उनके नाम के समक्ष कोष्ठ में (1), (2) आदि संख्या या अन्य कोई पहचान चिह्न, यथा टोला/पिता का नाम आदि अंकित किया जायेगा जिसकी जानकारी संबंधित अभ्यर्थी को भी लिखित रूप से **प्रपत्र-6** में दी जायेगी।

(ii) **निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी (प्रपत्र-5) को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 08 एवं भारतीय दंड संहिता के दंड प्रावधानों के संबंध में एक सूचना संलग्न परिशिष्ट-1 में दी जाएगी।**

4.5. **निर्विरोध एवं सविरोध निर्वाचन** -

(i) यथा कंडिका 4.2.7 में निर्दिष्ट पदो के विरूद्ध कोटि एवं पदों की संख्या के समान यदि नामांकन प्राप्त होता है और प्रपत्र-5 में तैयार की गयी विधिमान्य अभ्यर्थियों की संख्या कोटि एवं पदों के संख्या के समान होती है तो वैसे अभ्यर्थियों को निर्विरोध निर्वाचित समझा जायेगा।

लेकिन, बिहार सहकारी सोसाईटी नियमावली, 1959 के नियम 21-त एवं 21-थ के परन्तुक-1 के अनुसार निर्विरोध निर्वाचन के फलस्वरूप निर्वाचन परिणाम की घोषणा भी मतदान/ मतगणना की तिथि को ही की जायेगी और उसी तिथि को प्रपत्र-7 में निर्वाचन प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

(ii) यदि उक्त कोटि एवं पदों के लिए तैयार किये गये प्रपत्र-5 में निर्दिष्ट संख्या से अधिक वैध अभ्यर्थियों का नाम अंकित किया गया है, तो उस स्थिति में प्राधिकार द्वारा नियत तिथि को विहित तरीके से मतदान कराया जायेगा।

(iii) अगर निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से कम संख्या में नामांकन पत्र दाखिल किये गये हैं, तब सही नामांकन देने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

4.6. **कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जाने अथवा कोई भी नामांकन पत्र वैध नहीं पाये जाने अथवा स्वीकृत किये गये सभी नामांकन पत्रों को संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा वापस ले लिये जाने पर**

यदि नामांकन पत्र की संवीक्षा के उपरान्त या नामांकन पत्र की वापसी की अंतिम तिथि के उपरान्त ऐसा पाया जाता है कि किसी पद विशेष के लिए या तो कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया हो या दाखिल किये गये सभी नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिये गये हों या स्वीकृत किये गये सभी नामांकन पत्रों को वापस ले लिया गया हो, तो उस स्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा एक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0)/ राज्य निर्वाचन प्राधिकार को अविलम्ब भेजा दिया जायेगा और इसपर प्राधिकार के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जायेगी। प्रतिवेदन का प्रपत्र **अनुलग्नक-2** पर संलग्न है।

4.7. **निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति**

व्यापार मंडल निर्वाचन का प्रत्येक अभ्यर्थी अपने चुनाव कार्य के लिये अधिकतम दो निर्वाचन अभिकर्त्ता की नियुक्ति कर सकता है, जो उसके मतदान तथा मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में भी कार्य करेगा। किन्तु, किसी एक समय एक ही व्यक्ति निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में कार्य कर सकता है, दूसरा व्यक्ति रिजर्व के रूप में रहेगा। अभ्यर्थी किसी भी समय अपने हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति रद्द कर सकता है और उसकी जगह नया अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकता है। निर्वाचन अभिकर्त्ता की निर्वाचन के पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में भी अभ्यर्थी नया अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकता है। **जो अभ्यर्थी अपना कोई निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता नियुक्त नहीं करना चाहे, वह ऐसा करने के लिये स्वतंत्र है।** स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी के लिये एक ही व्यक्ति निर्वाचन अभिकर्त्ता, मतदान अभिकर्त्ता तथा मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करेगा। निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति **प्रपत्र-8** में की जायेगी। **निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जायेगी जो संबंधित व्यापार मंडल के उसी वर्ग का सदस्य हो, जिस वर्ग से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा हो, अन्य वर्ग के सदस्य या किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं।**

4.8. **मतदान का प्रत्यादिष्ट (countermanded) होना**

अगर प्रपत्र-5 में अंकित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में से किसी पद विशेष के किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है और मतदान के नियत समय के प्रारंभ होने के पूर्व उसकी मृत्यु की सूचना निर्वाचन पदाधिकारी को प्राप्त हो जाती है, तो उस अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने संबंधी तथ्य का समाधान हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित पद के लिये मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देंगे और इसकी सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0)/ प्राधिकार को देंगे। प्राधिकार से निदेश प्राप्त होने पर उक्त पद के लिये निर्वाचन प्रक्रिया नये सिरे से प्रारंभ की जायेगी।

उदाहरण - नये एवं पुराने व्यापार मंडल के लिये विभिन्न तरह के पदो के लिए चुनाव कराये जा रहे है और प्रत्येक पद के लिये अलग-अलग **प्रपत्र-5** तैयार किया जायेगा। अत: किसी वर्ग के जिस पद विशेष के अभ्यर्थी की मृत्यु होगी, केवल उसी पद का निर्वाचन स्थगित किया जायेगा, न कि व्यापार मंडल के सभी पदों का। अगर वैसे किसी व्यापार मंडल चुनाव में पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए आरक्षित प्रबंध समिति के सदस्य पद के निर्वाचन

हेतु प्रपत्र-5 में अंकित किसी पिछड़ा कोटि उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है और इसकी सूचना निर्वाचन पदाधिकारी को मतदान शुरू होने के पहले सम्पुष्ट रूप से प्राप्त हो जाती है, तो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा केवल पिछड़ा कोटि सदस्य के लिये निर्वाचन को ही स्थगित किया जायेगा, न कि सभी पदों का निर्वाचन। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मतदान प्रारंभ हो जाने के पश्चात अगर किसी अभ्यर्थी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है तो इस आधार पर निर्वाचन प्रत्यादिष्ट नहीं किया जायेगा।

4.9. **मतदाता की पहचान के आधार :-**

चूंकि व्यापार मंडल की मतदाता सूची में सम्मिलित समितियों के निर्वाचित अध्यक्षों (जो व्यापार मंडल में डेलीगेट होंगे) को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचन प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं, अत: **मतदान के समय मतदाता (समिति के अध्यक्ष) की व्यक्तिगत पहचान सुनिश्चित करने हेतु उक्त फोटोयुक्त निर्वाचन प्रमाण पत्र को ही मान्य दस्तावेज माना जायेगा।**

व्यक्तिगत किसानों के मामले में अपनी पहचान के लिए उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक दस्तावेज मूल रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा :-

- भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र (EPIC)
- पासपोर्ट
- ड्राईविंग लाइसेंस
- आयकर पहचान पत्र (PAN)
- आधार कार्ड
- फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- बैंक/ डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक और किसान पासबुक
- सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र
- फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
- फोटोयुक्त मूल पेंशन दस्तावेज यथा, पेंशन भुगतान दस्तावेज/ भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/ भूतपूर्व सैनिक विधवा प्रमाण पत्र/ आश्रित प्रमाण पत्र/ वृद्धावस्था पेंशन कार्ड विधवा पेंशन कार्ड
- फोटोयुक्त संपति दस्तावेज, यथा पट्टा, निबंधित डीड फोटोयुक्त मूल पेंशन दस्तावेज
- फोटोयुक्त रेलवे पास
- फोटोयुक्त शारीरिक अपंगता प्रमाण पत्र
- फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र
- फोटोयुक्त नरेगा पारिवारिक नौकरी कार्ड
- फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड

4.10. **मतपेटी एवं मतपत्र :-**

- व्यापार मंडलों के चुनाव में स्थानीय निकायों के निर्वाचन में प्रयुक्त परम्परागत मतपेटिकाओं का उपयोग किया जायेगा।
- अगर प्रपत्र-5 में रिक्ति से अधिक अभ्यर्थियों का नाम है, तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन कराने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिस मतपत्र का प्रयोग किया जायेगा, उसका नमूना प्रपत्र-9 पर दिया गया है।
- निर्वाचन पदाधिकारी अपनी देख-रेख में गोपनीय मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

<u>नया व्यापार मंडल</u>

- वर्ग–1 के प्रत्येक मतदाता को वर्ग–1 के लिए संबंधित पद का एक–एक मतपत्र अर्थात कुल पॉच मतपत्र एक साथ दिया जायेगा तथा उन्हें कहा जायेगा कि वे मतदान प्रकोष्ठ में जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार/ उम्मीदवारों के नाम के आगे प्रकोष्ठ में रखे नीली स्याही वाले स्केच पेन से निम्नलिखित रूप से (√) का चिह्न लगा लें –

  – अध्यक्ष पद के मतपत्र पर किसी एक व्यक्ति के नाम के सामने वाले स्तंभ में (√) चिह्न लगाया जायेगा

  – अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कोटि से प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य के मतपत्र पर 2 पद (आरक्षित; पुरूष–1 एवं महिला–1) के नाम के सामने वाले स्तंभ में (√) चिह्न लगाया जायेगा।

  – पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य के मतपत्र पर किसी एक व्यक्ति के नाम के सामने वाले स्तंभ में (√) चिह्न लगाया जायेगा

  – अति पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य के मतपत्र पर 2 पद (आरक्षित; पुरूष–1 एवं महिला–1) के नाम के सामने वाले स्तंभ में (√) चिह्न लगाया जायेगा

  – सामान्य कोटि से प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य के मतपत्र पर किन्ही पाँच (अनारक्षित; पुरूष–3 एवं महिला–2) के नाम के सामने वाले स्तंभ में (√) चिह्न लगाया जायेगा।

- तत्पश्चात् मतदाता द्वारा सभी 5 मतपत्रों को अलग–अलग मोड़कर उसे निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष रखी वर्ग–1 के लिए कर्णांकित मतपेटिका में डाल दिया जायेगा।

- मतदाता को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि अभ्यर्थियों की रिक्ति से अधिक अभ्यर्थी के नाम के आगे (√) चिह्न अंकित करने पर उनका मतपत्र गिनती के समय रद्द घोषित कर दिया जायेगा।

- उसी प्रकार वर्ग–2 के पदों के लिए संबंधित पद का एक–एक मतपत्र वर्ग–2 के मतदाता को दिया जायेगा, और उन्हें कहा जायेगा कि वे मतदान प्रकोष्ठ में जाकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से सदस्य पद के मतपत्र पर अपनी पसंद के किसी एक उम्मीदवार एवं सामान्य कोटि से सदस्य पद के मतपत्र पर अपनी पसंद के किन्ही दो (आनारक्षित; पुरूष–1 एवं महिला–1) नाम के सामने वाले स्तंभ में (√) चिह्न लगा लें एवं तत्पश्चात् दोनों मतपत्रों को अलग–अलग मोड़कर निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष रखी वर्ग–2 के लिए कर्णांकित मतपेटिका में डाल दें।

<u>पुराना व्यापार मंडल</u>

- वर्ग–1 के प्रत्येक मतदाता को अध्यक्ष का एक मतपत्र तथा प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्य पद हेतु वर्ग–1 के चार तरह के पदों के लिए संबंधित पद का एक–एक मतपत्र अर्थात् कुल 5 (पाँच) मतपत्र एक साथ दिया जायेगा तथा उन्हें कहा जायेगा कि वे मतदान प्रकोष्ठ में जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार/ उम्मीदवारों के नाम के आगे प्रकोष्ठ में रखे नीली स्याही वाले स्केच पेन से निम्नलिखित रूप से (√) का चिह्न लगा लें –

  – अध्यक्ष पद के मतपत्र पर किसी एक व्यक्ति के नाम के सामने वाले स्तंभ में (√) चिह्न लगाया जायेगा

  – अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कोटि से प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य के मतपत्र पर किसी एक व्यक्ति के नाम के सामने वाले स्तंभ में (√) चिह्न लगाया जायेगा

– अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य के मतपत्र पर किसी एक व्यक्ति के नाम के सामने वाले स्तंभ में (√) चिह्न लगाया जायेगा

– पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य के मतपत्र पर किसी एक व्यक्ति के नाम के सामने वाले स्तंभ में (√) चिह्न लगाया जायेगा

– सामान्य कोटि से प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य के मतपत्र पर किन्ही तीन (अनारक्षित; पुरूष–2 एवं महिला–1) के नाम के सामने वाले स्तंभ में (√) चिह्न लगाया जायेगा

- तत्पश्चात् मतदाता द्वारा सभी 5 मतपत्रों को अलग–अलग मोड़कर अध्यक्ष पद के मतपत्र को उसे निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष रखी अध्यक्ष पद की कर्णांकित मतपेटिका एवं प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्य के पदों के 4 मतपत्रों को वर्ग–1 के लिए कर्णांकित मतपेटिका में अलग–अलग डाल दिया जायेगा।
- मतदाता को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि अभ्यर्थियों की रिक्ति से अधिक अभ्यर्थी के नाम के आगे (√) चिह्न अंकित करने पर उनका मतपत्र गिनती के समय रद्द घोषित कर दिया जायेगा।
- इसी प्रकार वर्ग–2 के मतदाताओं को भी अध्यक्ष पद का एक मतपत्र एवं वर्ग–2 के चार तरह के पदों के लिए संबंधित पद का एक–एक मतपत्र अर्थात् कुल पाँच मतपत्र एक साथ दिया जायेगा, और उन्हें कहा जायेगा कि वे मतदान प्रकोष्ठ में जाकर अध्यक्ष पद के मतपत्र पर अपनी पसंद के किसी एक उम्मीदवार, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कोटि से सदस्य पद के मतपत्र पर अपनी पसंद के एक उम्मीदवार, अति पिछड़ा वर्ग कोटि से अपनी पसंद के एक उम्मीदवार, पिछड़ा वर्ग कोटि से अपने पसंद की एक उम्मीदवार एवं सामान्य कोटि से सदस्य पद के मतपत्र पर अपनी पसंद के किन्ही तीन (अनारक्षित; पुरूष–2 एवं महिला–1) के नाम के सामने वाले स्तंभ में (√) चिह्न लगा लें एवं तत्पश्चात् पाँचों मतपत्रों को अलग–अलग मोड़कर अध्यक्ष पद का मतपत्र निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष रखी अध्यक्ष पद की कर्णांकित मतपेटिका तथा अन्य चार मतपत्रों को वर्ग–2 के लिए कर्णांकित मतपेटिका में डाल दें।
- नये अथवा पुराने व्यापार मंडल के मतदाताओं द्वारा अपना मत अंकित कर मतपेटी में डाल दिये जाने के तुरंत बाद निर्वाचन पदाधिकारी उन मतपत्रों को बाहर निकालकर सर्वप्रथम अध्यक्ष, वर्ग–1 एवं वर्ग–2 के मतपत्रों के अलग–अलग बंडल बना लेंगे। इसके पश्चात् प्रत्येक बंडल से रद्द किये जाने योग्य मतपत्रों, अगर कोई हों, को छाँट कर अलग कर देगा एवं अभ्यर्थीवार प्राप्त वैध मतों की गिनती करेगा तथा रिजल्ट शीट में उसका अंकन करेगा। इस उद्देश्य हेतु निर्वाचन पदाधिकारी अपनी सहायता हेतु आवश्यक संख्या में कर्मियों को प्रतिनियुक्त कर सकेंगे, जो राज्य सरकार के कर्मी होंगे। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जायेगा एवं उसे निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र–7 में निर्वाचन प्रमाण पत्र हस्तगत करा दिया जायेगा।
- अवैध करार दिये गये मतपत्रों, गिनती किये गये मतपत्रों एवं तैयार रिजल्ट शीट को अलग–अलग लिफाफों में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उपस्थित निर्वाचित सदस्यों के समक्ष अपने मुहर से सीलबन्द कर दिया जायेगा एवं जो निर्वाचित सदस्य उस लिफाफे पर अपना सील लगाना चाहे, उन्हें भी ऐसा करने की अनुमति दी जायेगी। उक्त तीनों सीलबन्द लिफाफों को निर्वाचन पदाधिकारी की अभिरक्षा में तब तक रखा जायेगा, जब तक प्राधिकार से कोई अन्यथा आदेश प्राप्त नहीं हो।

4.11 **मतदान केन्द्र :–**

व्यापार मंडल के चुनाव हेतु प्रत्येक व्यापार मंडल के लिए मतदान केन्द्र संबंधित प्रखंड मुख्यालय भवन में स्थापित किया जायेगा।

4.12 **वज्रगृह-**

सामान्यतया मतदान समाप्ति के पश्चात दूसरे दिन मतगणना करायी जाती है एवं मतदत्त मतपेटिकाओं (polled ballet box) को सुरक्षित रखने हेतु वज्रगृह की स्थापना की जाती है। व्यापार मंडलों में सदस्यों की संख्या अपेक्षाकृत कम रहने के कारण प्राधिकार ने निर्णय लिया है कि मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात उसी दिन मतगणना की प्रक्रिया भी आरंभ की जायेगी। ऐसी स्थिति में मतपेटिकाओं को सुरक्षित रखने हेतु वज्रगृह बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतदत्त मतपेटिका/ मतपेटिकाओं को प्रखंड मुख्यालय भवन में ही स्थापित मतगणना केन्द्र पर लाया जायेगा तथा प्राधिकार के निदेशों के अनुरूप उसी दिन मतगणना सम्पन्न करायी जायेगी।

5. इस पत्र के साथ निम्न अनुलग्नक/ अनुसूची / प्रपत्र/ परिशिष्ट की नमूना प्रति संलग्न है -

(i) अनुलग्नक-1(निर्विरोध निर्वाचन की सूचना)

(ii) अनुलग्नक-2(कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किये जाने/कोई भी नामांकन वैध नहीं पाये जाने/स्वीकृत सभी नामांकन पत्र वापस ले लिये जाने की स्थिति में सूचना का प्रपत्र)

(iii) अनुसूची-1 (चेकलिस्ट)

(iv) प्रपत्र-1 (सूचना का प्रपत्र : नये एवं पुराने व्यापार मंडल के लिए अलग-अलग)

(v) प्रपत्र-2 (नामांकन पत्र)

(vi) प्रपत्र-क (शपथ पत्र)

(vii) प्रपत्र-ख (बायोडाटा)

(viii) प्रपत्र-ग (घोषणा पत्र)

(ix) प्रपत्र-घ (दाखिल नामांकन पत्रों की विवरणी)

(x) प्रपत्र-3 (अभ्यर्थिता वापसी की सूचना)

(xi) प्रपत्र-4 (अभ्यर्थिता वापस लेने वाले अभ्यर्थियों की सूची)

(xii) प्रपत्र-5 (विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची)

(xiii) प्रपत्र-6 (अभ्यर्थियों का नाम समान (Identical) रहने पर पहचान हेतु सूचना)

(xiv) प्रपत्र-7 (निर्वाचन प्रमाण पत्र)

(xv) प्रपत्र-8 (निर्वाचन अभिकर्त्ता/ मतदान अभिकर्त्ता/ मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति)

(xvi) प्रपत्र-9 (व्यापार मंडल के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना)

(xvii) परिशिष्ट-1 (निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 08 एवं भारतीय दंड संहिता के दंड प्रावधानों के संबंध में सूचना)

(xviii) परिशिष्ट-2(प्राधिकार का पत्र संख्या 519 दिनांक 18.03.2010 : बकाया रहित प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।)

विश्वासभाजन,

4.8.17

(फूल सिंह)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

अनुलग्नक-1
निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति में सूचना

सेवा में,

राज्य निर्वाचन प्राधिकार, बिहार, पटना।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०)

सूचित करना है कि व्यापार मंडल (व्यापार मंडल का नाम) के .....पद के लिये श्री/श्रीमती....., पता .....निर्विरोध निर्वाचित हो गये/गयी है और इस उपलक्ष्य में उन्हें प्रपत्र-7 में निर्वाचन प्रमाण-पत्र हस्तगत करा दिया गया है।

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

अनुलग्नक-2

कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किये जाने/दाखिल किये गये सभी नामांकन पत्र अस्वीकृत हो जाने/स्वीकृत किये गये सभी नामांकन पत्रों को वापस ले लिये जाने की स्थिति में भेजी जाने वाली सूचना

सेवा में,

राज्य निर्वाचन प्राधिकार, बिहार, पटना।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)

सूचित करना है कि व्यापार मंडल (व्यापार मंडल का नाम) के ..... पद के लिये कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया है/ दाखिल किये गये सभी नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिये गये है/ स्वीकृत किये गये सभी नामांकन पत्र संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा वापस ले लिये गये है।* फलस्वरूप उक्त पद के लिये तत्काल कोई निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है। कृपया अग्रेतर निदेश देना चाहेंगे।

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

---

* जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

अनुसूची-1
नामांकन पत्र की समीक्षा हेतु चेक-लिस्ट
(यह वर्गवार एवं पदवार तैयार की जायेगी)

क्रमांक	विषय	(√ या X) लगायें
1	2	3
1	क्या नामांकन पत्र प्रपत्र 2 में दाखिल किया गया है?	
2	क्या अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, उम्र तथा पता एवं जिस समिति का वह डेलीगेट है, उसका नाम अंकित किया गया है?	
3	क्या व्यापार मंडल का नाम तथा उसकी मतदाता सूची जिसमें अभ्यर्थी का नाम दर्ज है, की क्रम संख्या अंकित की गयी है?	
4	क्या प्रस्तावक व्यापार मंडल के उसी वर्ग का है जिस वर्ग के पद के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र दाखिल करना चाहता है, अगर हाँ तो क्या प्रस्तावक का मतदाता सूची की क्रम संख्या नामांकन पत्र में अंकित की गयी है?	
5	क्या प्रस्तावक का हस्ताक्षर है?	
6	क्या समर्थक व्यापार मंडल के उसी वर्ग का है जिस वर्ग के पद के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र दाखिल करना चाहता है, अगर हाँ तो क्या समर्थक का मतदाता सूची की क्रम संख्या नामांकन पत्र में अंकित की गयी है?	
7	क्या समर्थक का हस्ताक्षर है?	
8	क्या नामांकन पत्र के अन्त में अभ्यर्थी की घोषणा अंकित है तथा अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किया गया है और तिथि भी अंकित किया गया है?	
9	प्रपत्र-ग में मतदाता/ डेलीगेट होने से संबंधित घोषणा पत्र दाखिल किया गया है?	
10	अगर अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित कोटि(अनु0जाति/अनु0जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग)से नामांकन पत्र दिया गया है, तो क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है?	
11	क्या विहित नामांकन शुल्क की राशि जमा कर दिये जाने से संबंधित रसीद नामांकन पत्र के साथ संलग्न है?	
12	क्या प्रपत्र-क में शपथ पत्र वांछित सूचनायें दी गई है, तथा क्या उस पर अभ्यर्थी एवं गवाह का हस्ताक्षर अंकित है?	
13	क्या अभ्यर्थी बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1969 के नियम 23(1) के किसी अयोग्यता अथवा समिति की उपविधियों में अंकित किसी अयोग्यता के अधीन है?	
14	क्या प्रपत्र-ख में अभ्यर्थी के बारे में आवश्यक विवरणी दाखिल की गई है?	
15	क्या अभ्यर्थी द्वारा विहित अवधि में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच नामांकन पत्र दाखिल किया गया है?	
16	क्या अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से नामांकन पत्र दाखिल किया गया है?	

प्रपत्र-1

सूचना का प्रपत्र

(नये व्यापार मंडल के लिए)

जिला ...., प्रखंड........................के व्यापार मंडल ...., निबंधन संख्या............................, पता ....के अध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक..................को किया जाना है,

मैं...निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 14 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
प्रथम वर्ग से	
अध्यक्ष	01 (अनारक्षित)
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	10
• अनु0जाति/अनु0ज0जाति कोटि	02 पद (आरक्षित; पुरूष-1 एवं महिला-1)
• पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद (आरक्षित)
• अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि	02 पद (आरक्षित; पुरूष-1 एवं महिला-1)
• सामान्य कोटि	05 पद (अनारक्षित; पुरूष-3 एवं महिला-2)
द्वितीय वर्ग से	
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	03
• अनु0जाति/अनु0ज0जाति कोटि	01 पद (आरक्षित)
• सामान्य कोटि	02 पद (अनारक्षित; पुरूष-1 एवं महिला-1)

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय..................................अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर
(स्थान का नाम)
सकने की स्थिति में...को...पर दाखिल किया जा सकता
(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) (स्थान का नाम)
है। नामांकन पत्र दिनांक .... 11 बजे पूर्वाह् से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.........................से दिनांक.............................तक ....बजे से............................बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक......................को..............................पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं 3 बजे
(स्थान का नाम)
तक चलती रहेगी।

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....................को अपराह्न .... बजे के पूर्व तक ....पर
(स्थान का नाम)
दाखिल की जा सकती है।

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक..................को 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक होगा।

(Vii) मतगणना दिनांक.................को ....बजे से..पर की जायेगी।
(स्थान का नाम)

स्थान-

तिथि - निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-1

सूचना का प्रपत्र

(पुराने व्यापार मंडल के लिए)

जिला ....., प्रखंड.....के व्यापार मंडल ....., निबंधन संख्या....., पता ....के अध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है,

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
अध्यक्ष - प्रथम एवं द्वितीय वर्ग दोनों से	01 (अनारक्षित)
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	
<u>प्रथम वर्ग (सहयोग समितियाँ) से</u>	06
• अनु0जाति/अनु0ज0जाति कोटि	01 पद (आरक्षित)
• अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद (आरक्षित)
• पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद (आरक्षित)
• सामान्य कोटि	03 पद (अनारक्षित; पुरूष-2 एवं महिला-1)
<u>द्वितीय वर्ग (व्यक्तिगत किसान) से</u>	06
• अनु0जाति/अनु0ज0जाति कोटि	01 पद (आरक्षित)
• पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद (आरक्षित)
• अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद (आरक्षित)
• सामान्य कोटि	03 पद (अनारक्षित; पुरूष-2 एवं महिला-1)

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर
(स्थान का नाम)
सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता
(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) (स्थान का नाम)
है। नामांकन पत्र दिनांक ..... 11 बजे पूर्वाह् से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तक .....बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं 3 बजे
(स्थान का नाम)
तक चलती रहेगी।

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न ..... बजे के पूर्व तक .....पर
(स्थान का नाम)
दाखिल की जा सकती है।

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक होगा।

(Vii) मतगणना दिनांक.....को .....बजे से.....पर की जायेगी।
(स्थान का नाम)

स्थान-
तिथि - निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–2

नामांकन पत्र

1.	पद का नाम, जिस पर निर्वाचित होना चाहते हों।	
2.	व्यापार मंडल का पूरा निर्बंधित नाम, जिससे पद संबंधित है।	
3.	**अभ्यर्थी का**	
	(i) मतदाता सूची में क्रमांक	
	(ii) पूरा नाम (जैसा कि मतदाता सूची में है)	
	(iii) क्या वह सहकारी सोसाईटी का व्यक्तिगत सदस्य है?	
	(iv) क्या वह किसी संबद्ध सोसाईटी/ निकाय या प्राधिकारी का प्रतिनिधि है, यदि हाँ तो उस सोसाईटी/ निकाय या प्राधिकारी का नाम	
4.	(i) पिता का नाम (पुरूष एवं अविवाहित स्त्री अभ्यर्थी की स्थिति में)।	
	(ii) पति का नाम (विवाहित स्त्री अभ्यर्थी की स्थिति में)।	
5.	**प्रस्तावक का**	
	(i) मतदाता सूची में क्रमांक	
	(ii) पूरा नाम (जैसा कि मतदाता सूची में है)	
	(iii) क्या वह सहकारी सोसाईटी का व्यक्तिगत सदस्य है?	
	(iv) क्या वह किसी संबद्ध सोसाईटी/ निकाय या प्राधिकारी का प्रतिनिधि है, यदि हाँ तो उस सोसाईटी/ निकाय या प्राधिकारी का नाम	
	(v) हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान	
6.	**समर्थक का**	
	(i) मतदाता सूची में क्रमांक	
	(ii) पूरा नाम (जैसा कि मतदाता सूची में है)	
	(iii) क्या वह सहकारी सोसाईटी का व्यक्तिगत सदस्य है?	
	(iv) क्या वह किसी संबद्ध सोसाईटी/ निकाय या प्राधिकारी का प्रतिनिधि है, यदि हाँ तो उस सोसाईटी/ निकाय या प्राधिकारी का नाम	
	(v) हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान	

अभ्यर्थी की घोषणा

मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मैं निर्वाचन लड़ने के लिए इच्छुक हूँ और मैं नियमावली तथा व्यापार मंडल की उपविधियों के अनुसार उपर्युक्त पद के लिए, जिसका मैं अभ्यर्थी हूँ, निर्वाचन लड़ने के योग्य हूँ।

तिथि– अभ्यर्थी का हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान

(निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

क्रमांक.....

यह नामांकन पत्र मुझे मेरे कार्यालय... (स्थान का नाम).....में दिनांक.....को.....बजे पूर्वाह्न/ अपराह्न अभ्यर्थी द्वारा दिया गया।

तिथि– निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी

स्थान – का हस्ताक्षर

संवीक्षा का प्रमाण-पत्र

मैंने अभ्यर्थी, प्रस्तावक एवं समर्थक की अर्हता का परीक्षण कर लिया है और मैं पाता हूँ कि वे क्रमशः निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने तथा उसे प्रस्तावित एवं समर्थन करने योग्य हैं।

स्थान :
तिथि : निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

.....छिद्रण.....

नामांकन पत्र की प्राप्ति रसीद और संवीक्षा की सूचना
(नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिये)

नामांकन पत्र का अनुक्रमांक : .....

श्री / सुश्री / श्रीमती ....., जो व्यापार मंडल के .....पद के निर्वाचन के लिये एक अभ्यर्थी है, का नामांकन पत्र मुझे दिनांक .....
(व्यापार मंडल का नाम)
को ..... बजे पूर्वाह्न / अपराह्न में अभ्यर्थी द्वारा परिदत्त किया गया। इस नामांकन पत्र की संवीक्षा दिनांक ..... को ..... बजे पूर्वाह्न / अपराह्न (स्थान का नाम) .....में की जायेगी।

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-क

(शपथ-पत्र एवं एनेक्सर जो नामांकन पत्र के साथ दिया जायेगा)

शपथ-पत्र

मैं,.....पिता/पति.....उम्र.....वर्ष, मोहल्ला.....पोस्ट.....थाना.....जिला....., बिहार का निवासी हूँ तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ :-

कि मैं अपना नामांकन पत्र व्यापार मंडल .....के .....पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित) की धारा 44 खच(3) के उपबन्धों से पूर्णत: अवगत हूँ;

कि मैं बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम 23(2) के तहत ..... व्यापार मंडल के ..... पद के रूप में निर्वाचन के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

(पदनाम)

कि संलग्न एनेक्सर में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य हैं।

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर..... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
   पता.....

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर.....
   पता .....

स्थान :
दिनांक :

जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट:-कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर के समक्ष शपथ लिया जायेगा।

प्रपत्र-क का एनेक्सचर

.....जिला के व्यापार मंडल .....से अध्यक्ष/ प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्य पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम : ..... पिता/पति का नाम : .....

1. **(क)** क्या आप किसी न्यायालय द्वारा कभी दंडित किये गये हैं	
यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें :-	
(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये	
(ii) दंडित किये जाने की तिथि	
(iii) किये गये अपराध की प्रकृति-(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)	
(iv) दिया गया दण्ड	
(v) कराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो	
(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि	
1. (ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरूद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं ?	
(i) अपील संख्या/पुर्नविचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण-	
(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुर्नविचार आवेदरन पत्र दायर किया गया	
(iii) क्या दायर अपील/पुर्नविचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लम्बित है	
(iv) यदि निष्पादित है, तो	
(क) निष्पादन की तिथि-	
(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण-	
(v) क्या अपील/पुर्नविचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया	
(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि-	
2. क्या आप किसी न्यायालय द्वारा कभी दंडित किये गये हैं?	
क्या आपके विरूद्ध किसी मामले में संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें	
(i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/संज्ञान लिया गया है	
(ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है	
(iii) अपराध संख्या	
(iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक	
(v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरूद्ध अपील(अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण	
2. **(क)** क्या आपमें बिहार सहकारिता सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम 23(2) में उल्लिखित निम्नलिखित अयोग्यताएँ हैं -	
(i) संबद्ध सोसाईटी नामांकन भरने की तिथि को उसके द्वारा लिये गये किसी प्रकार के ऋण के संबंध में उप विधियों में यथाविहित अवधि के लिए या किसी भी हालत में तीन माह से अधिक की अवधि के लिए सोसायटी का व्यतिक्रमी हो या किसी अन्य बकाये के संबंध में सोसायटी का व्यतिक्रमी भी हो या किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसायटी का व्यतिक्रमी हो, अथवा	
(ii) उसे सोसायटी में किये गये किसी निवेश अथवा उससे लिये गये किसी ऋण को छोड़कर सोसायटी के साथ किये गये किसी अस्तित्वयुक्त संविदा में या सोसायटी द्वारा बेची गयी या खरीदी गयी किसी सम्पति में अथवा सोसायटी में किसी संव्यवहार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हित हो, अथवा	
(iii) उसके विरुद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी से संबंधित अधिभार की कोई कार्यवाही लंबित हो, अथवा	
(iv) उसके विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत सोसायटी, जिसकी प्रबंध समिति में निर्वाचित होने के लिए वह उम्मीदवार हो, के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई जांच-पड़ताल लंबित हो, अथवा	
(v) उसके विरूद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई दोंडिक कार्यवाही लंबित हो, जिसमें संज्ञान ले लिया गया है।	
2. **(ख)** अगर हाँ, तो कंडिकावार स्पष्ट उल्लेख करे	

3. अपनी परिसम्पति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है :-

(क) अचल सम्पति

क्रमांक	विवरणी		कृषि भूमि	शहरी भूमि	भवन
1	अपनी	मौजा एवं थाना नंबर			
		अंचल			
		रकबा			
2	पति / पत्नी	मौजा एवं थाना नंबर			
		अंचल			
		रकबा			
3	आश्रित	मौजा एवं थाना नंबर			
		अंचल			
		रकबा			
	कुल जमीन का अनुमानित मूल्य (रूपये में)				

(ख) चल सम्पति (रूपये में)

क्रमांक	विवरणी	वर्तमान कीमत (रूपये में)
1	नकद	
2	बैंक बैलेन्स	
3	फिक्स डिपोजिट	
4	बॉण्ड	
5	शेयर	
6	वाहन का मॉडल, वर्ष एवं मूल्य	
7.	आभूषणों का मूल्य	
	कुल	

4.	अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएं (वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वेल्थ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया)	1. 2. 3.

5. शैक्षणिक योग्यता का विवरण।

क्रमांक	परीक्षा उत्तीर्ण	स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्णता वर्ष	अभ्युक्ति
1				
2				
3				
4				
5				

स्थान :

तिथि : अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नोट:- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ ''शून्य'' अवश्य अंकित किया जाय। स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिन्ह अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।

प्रपत्र-ख

अभ्यर्थी का बायोडाटा

(नामांकन पत्र के साथ दिया जाएगा)

जिला : ..... प्रखंड : ..... व्यापार मंडल : .....

1	अभ्यर्थी का नाम		
2	पिता/पति का नाम		
3	पता		
4	दूरभाष संख्या/मोबाईल नं०		
5	जन्म तिथि		
6	शैक्षणिक योग्यता		
7	विवाहित/ अविवाहित :	8. पुरूष / महिला	
9	संतान की संख्या :	लड़का :	लड़की :
10	जाति सामान्य/ पिछड़ा वर्ग (एनेक्सर-2)/ अति पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-1) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति		
11	पेशा		
12	वार्षिक आय		
13	किस विषय (कला/ संस्कृति/ समाजसेवा आदि) में विशेष रूचि रखते हैं		
14	क्या पूर्व में किसी स्थानीय निकाय (पंचायत या नगरपालिका आदि) के सदस्य रहे हैं? अगर हाँ, तो पद एवं अवधि का उल्लेख करे।		
15	क्या पूर्व में किसी सहकारी समिति के अध्यक्ष/सदस्य आदि रहे हैं? अगर हाँ, तो पद सहित अवधि का उल्लेख करे।		

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-ग

मतदाता/ डेलीगेट होने की घोषणा

मैं.....पिता/पति.....उम्र.....वर्ष..... थाना.....जिला.....बिहार का निवासी हूँ, घोषणा करता/करती हूँ :-

* कि मेरा नाम व्यापार मंडल ..... की मतदाता सूची के क्रमांक.....पर दर्ज है तथा इसके अलावे राज्य के अन्य किसी व्यापार मंडल के लिए गठित मतदाता सूची में मेरा नाम दर्ज नहीं है; या

* कि मेरा नाम निम्नलिखित व्यापार मंडल के गठित मतदाता सूची में भी दर्ज है;

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	व्यापार मंडल का नाम	मतदाता सूची का क्रमांक
1	2	3	4	5

कि मैं सिर्फ जिला....., व्यापार मंडल ..... के निर्वाचन क्षेत्र के लिए गठित मतदाता सूची, जिसमें मेरा नाम दर्ज है, के मतदाता के रूप में निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होने का अधिकार एवं मताधिकार का उपयोग करूँगा/करूँगी तथा मैं किसी अन्य व्यापार मंडल, जिसके लिए गठित मतदाता सूची में भी मेरा नाम दर्ज है, में निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी अथवा मतदाता के रूप में अपने अधिकार का उपयोग नही करूँगा।

* कि मैं .....समिति का निर्वाचित अध्यक्ष हूँ और इस आधार पर व्यापार मंडल के निर्वाचन में डेलीगेट के रूप में आया हूँ।

स्थान- अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

दिनांक-

---

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र-घ

दाखिल नामांकन पत्रों की विवरणी
(यह वर्गवार एवं पदवार तैयार की जायेगी)

व्यापार मंडल.....
(व्यापार मंडल का नाम)

क्रमांक	पद का नाम	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पिता/पति का नाम	प्रस्तावक का नाम एवं पता	समर्थक का नाम एवं पता
1	2	3	4	5	6

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-3
अभ्यर्थिता वापसी की सूचना

1. पद का नाम, जिसके लिए नामांकन भरा गया है .....
2. व्यापार मंडल का पूरा निबंधित नाम, जिससे पद संबंधित है।
3. अभ्यर्थी का -
   (i) मतदाता सूची में क्रमांक .....
   (ii) पूरा नाम (जैसा कि मतदाता सूची में है) .....
   (iii) क्या वह सहकारी सोसाइटी का व्यक्तिगत सदस्य है?
   (iv) क्या वह किसी सम्बद्ध सोसाइटी/निकाय या प्राधिकारी का प्रतिनिधि है? यदि हाँ, तो उस सोसाइटी/ निकाय/ प्राधिकारी का नाम -
4. (i) पिता का नाम (पुरूष एवं अविवाहित स्त्री अभ्यर्थी की स्थिति में)।
   (ii) पति का नाम (विवाहित स्त्री अभ्यर्थी की स्थिति में)।

मैं, उपर्युक्त पद/सीट के लिए निर्वाचन लड़ना नहीं चाहता/चाहती हूँ और तदनुसार बिना किसी दु:ख या दबाव के मैं अपनी उम्मीदवारी वापस लेता/लेती हूँ।

5. यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान

इस वापसी की सूचना मुझे मेरे कार्यालय में दिनांक.....को.....बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में अभ्यर्थी द्वारा परिदत्त की गयी है।

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

वापसी की सूचना के लिए रसीद
(सूचना देने वाले अभ्यर्थी को दिये जाने के लिए)

श्री/सुश्री/श्रीमती,....., जो व्यापार मंडल .....के ..... पद के निर्वाचन हेतु विधिमान्य रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी है, द्वारा अभ्यर्थिता वापसी की सूचना मुझे अभ्यर्थी द्वारा मेरे कार्यालय में दिनांक.....को.....बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में दी गई जिसकी प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

तिथि-

स्थान-

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-4

अभ्यर्थिता वापस लेने वाले अभ्यर्थियों की सूची

(यह वर्गवार एवं पदवार अलग-अलग तैयार की जायेगी)

व्यापार मंडल ..... वर्ग-..... पद-.....

(व्यापार मंडल का नाम)

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि व्यापार मंडल .....के अध्यक्ष/ प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य पद के लिए दाखिल नामांकन पत्रों में से निम्नांकित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों द्वारा अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली गई है :-

पद का नाम	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पिता/पति का नाम
1	2	3

तिथि -

स्थान-

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-5

विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची

(यह वर्गवार एवं पदवार तैयार की जायेगी)

व्यापार मंडल ..... वर्ग ..... पद का नाम.....

(व्यापार मंडल का नाम)

क्रमांक	पद का नाम	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3	4	5

दिनांक -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-6
अभ्यर्थियों का नाम समान (Identical) रहने पर पहचान हेतु सूचना

सेवा में,

श्री/श्रीमती/सुश्री.....

.....

.....

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि व्यापार मंडल .....के अध्यक्ष/ प्रबंधकारिणी
(व्यापार मंडल का नाम)
समिति के सदस्य पद के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की संवीक्षा उपरान्त निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में निम्नांकित अभ्यर्थियों का नाम समान (Identical) है।

इन अभ्यर्थियों की स्पष्ट एवं अलग अलग पहचान के लिए निम्न स्तंभ 1 में अंकित अभ्यर्थी स्तंभ 2 में अंकित नाम से जाने जायेंगे।

क्रमांक	स्तंभ-1	स्तंभ-2
1.	नाम..... पता.....	नाम.....
2.	नाम..... पता.....	नाम.....
3.	नाम..... पता.....	नाम.....

दिनांक -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-7
निर्वाचन प्रमाण-पत्र

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने दिनांक.....माह.....वर्ष.....को श्री/सुश्री/श्रीमती..... .....जो श्री/श्रीमती.....के/की पुत्र/ पुत्री/ पत्नी हैं और जो..... .....के/की निवासी हैं, को व्यापार मंडल ..... के अध्यक्ष/ वर्ग ..... से ..... कोटि से

(व्यापार मंडल का नाम)

प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य के रूप में सम्यक् रूपेण निर्वाचित घोषित किया है तथा प्रमाण स्वरूप मैंने उन्हें यह निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया है।

स्थान-
तारीख-

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
(पदनाम की मुहर)

प्रपत्र-8

निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति

मैं (अभ्यर्थी का नाम) ..... व्यापार मंडल .....के
(व्यापार मंडल का नाम)
निर्वाचन में वर्ग.....से .....पद का/की अभ्यर्थी हूँ तथा श्री ..... को आज की तारीख से एतद् द्वारा अपना निर्वाचन अभिकर्त्ता/ मतदान अभिकर्त्ता/ मतगणना अभिकर्त्ता नियुक्त करता/ करती हूँ।

स्थान –
तारीख –

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मैं उपर्युक्त नियुक्ति स्वीकार करता/करती हूँ।

स्थान –
तारीख –

निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

अनुमोदित

स्थान –
तारीख –

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-9
व्यापार मंडल के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना

मतदान की तिथि - .....

व्यापार मंडल का नाम ..... वर्ग ..... पद .....

मतपत्र का क्रमांक - .....
(यह निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने हाथ से मतपत्र निर्गत करते समय भरा जायेगा। प्रत्येक पद के पहले मतपत्र पर 01, दूसरे मतपत्र पर 02, एवं इस तरह आगे का क्रमांक ..... अंकित किया जायेगा।)

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	यहाँ (√) का चिह्न लगायें
1	2	3

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं सील

परिशिष्ट-1

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 08 एवं भारतीय दंड संहिता के दंड (penal) प्रावधानों के संबंध में सूचना

एतद् द्वारा आपको बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 08 में भ्रष्ट आचरण एवं निर्वाचन अपराधों, तथा भारतीय दंड संहिता के अध्याय IX-A में उल्लिखित निर्वाचन से संबंधित अपराधों की सूचना दी जा रही हैं। कृपया ध्यान दे कि यह सूची सम्पूर्ण (exhaustive) नहीं है। आपको अधिक जानकारी के लिए कानून के संगत प्रावधानों का भी अध्ययन करने का परामर्श दिया जाता है। इन भ्रष्ट आचरणों तथा निर्वाचन अपराधों को किया जाना साबित हो जाने पर कानून के अनुसार आपके निर्वाचन को रद्द घोषित किया जा सकता है और/या कानून में प्रावधानित दंड भी दिया जा सकता है।

(I) बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008

(क) भ्रष्ट आचरण (धारा 14)

1. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (केन्द्रीय अधिनियम 48, 1951) की धारा 123 में यथापरिभाषित रिश्वत
2. उक्त धारा के खंड (1) में यथापरिभाषित अनुचित प्रभाव
3. धर्म, प्रजाति, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर अपील या धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करना या उसकी दुहाई देना या राष्ट्रीय प्रतीकों, यथा राष्ट्रीय झंडा या राष्ट्रीय चिह्न का उपयोग करना या दुहाई देना
4. धर्म, प्रजाति, जाति, समुदाय अथवा भाषा के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता और घृणा की भावनाओं को भड़काना या भड़काने का प्रयास करना
5. किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में मिथ्या तथ्यों का प्रकाशन
6. मतदान केन्द्र तक मतदाताओं के नि:शुल्क परिवहन के लिए किसी वाहन को भाड़े पर लेना अथवा उसे प्राप्त करना या उसका उपयोग करना
7. किसी ऐसी बैठक का आयोजन जिसमें मादक द्रव्य की आपूर्त्ति की जाती हो।
8. निर्वाचन के प्रसंग में किसी ऐसे परिपत्र, विज्ञापन या इश्तहार का जारी किया जाना जिस पर इसके मुद्रणकर्त्ता और प्रकाशन का नाम-पता न हो।
9. कोई अन्य आचरण जिसे सरकार नियम बनाकर भ्रष्ट आचरण निर्दिष्ट करे

(ख) निर्वाचन अपराध

10. धारा 6(1) – निर्वाचन के सिलसिले में विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता
11. धारा 6(2) – मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के 48 घंटों की अवधि के दौरान आम सभाओं पर प्रतिबंध
12. धारा 6(3) – निर्वाचन सभा में बाधा
13. धारा 6(4) – पुस्तिकाओं, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबंध
14. धारा 6(5) – मतदान की गोपनीयता बनाए रखना
15. धारा 6(6) – निर्वाचनों में अधिकारी आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य नहीं करेंगे या मतदान को प्रभावित नहीं करेंगे।
16. धारा 6(7) – मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक प्रचार पर प्रतिषेध
17. धारा 6(8) – मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक विश्रृंखल आचरण पर प्रतिबंध
18. धारा 6(9) – मतदान केन्द्र पर अवचार पर प्रतिबंध
19. धारा 6(10) – मतदान की प्रक्रिया के पालन में विफलता

20. धारा 6(11)	–	मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक आने-जाने हेतु अवैध रूप से वाहनों को किराये पर लेना या उपाप्त करना
21. धारा 6(12)	–	निर्वाचनों के संबंध में पदीय कर्त्तव्य भंग
22. धारा 6(13)	–	निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता या गणन अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को मनाही
23. धारा 6(14)	–	मतदान केन्द्र में उसके नजदीक शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिबंध
24. धारा 6(15)	–	मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाना
25. धारा 6(16)	–	मतदान केन्द्र पर कब्जा का अपराध
26. धारा 6(17)	–	निर्वाचन संबंधी कागजातों, अभिलेखों, मतपत्रों, मतपेटिकाओं आदि को कपटपूर्वक या आवश्यक प्राधिकार के बिना नष्ट करना

(II) (ग) भारतीय दंड संहिता के प्रावधान

27. धारा 171 B	–	रिश्वतखोरी या घूसखोरी
28. धारा 171 C	–	निर्वाचनों में अनुचित प्रभाव
29. धारा 171 D	–	निर्वाचन में प्रतिरूपण (personation) अर्थात् किसी दूसरे व्यक्ति का मत स्वयं छद्म रूप से वह व्यक्ति बनकर देना
30. धारा 171 G	–	निर्वाचन के संबंध में मिथ्या विवरण देना
31. धारा 171 H	–	निर्वाचन के संबंध में अवैध भुगतान
32. धारा 171 I	–	निर्वाचन व्यय का लेखा नहीं रखना

निर्वाचन पदाधिकारी का

हस्ताक्षर

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

बैरक संख्या-11, पुराना सचिवालय, पटना-800015

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, बेबसाईट : **www.bsea.bih.nic.in**

पत्रांक-नि॰प्रा॰/ विधि 1-218/2009 **519** /पटना, दिनांक **18** मार्च, 2010

प्रेषक,

एन॰ एस॰ माधवन,

मुख्य चुनाव पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी(सहयोग समितियाँ) ।

विषय : **सहकारिता चुनावों में बकाया रहित प्रमाण पत्र (No Dues Certificate) के सम्बन्ध में।**

महाशय,

बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 44ख च के 3(ख) के अनुसार कोई भी व्यक्ति अल्पकालीन साख संरचना अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी के प्रबंध समिति में निर्वाचन का पात्र नहीं होगा यदि वह व्यक्ति नामांकन भरने की तिथि को उसके द्वारा लिये गये किसी प्रकार के ऋण या सोसाइटी के किसी बकाये के संबंध में सोसाइटी अथवा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी का व्यतिक्रमी हो।

बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम 23(1)(ख) से (च) तक उन अयोग्यताओं का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर सदस्य किसी सहकारिता निकाय का चुनाव के मतदाता तो हो सकते हैं, किन्तु अध्यक्ष अथवा प्रबंध समिति के सदस्य पद के उम्मीदवार नहीं बन सकते। उन्हीं अयोग्यताओं में एक अयोग्यता(ख) में निम्नरूपेण उल्लिखित है -

वह नामांकन भरने की तिथि को उसके द्वारा लिये गये किसी प्रकार के ऋण के संबंध में उप विधियों में यथाविहित अवधि के लिए या किसी भी हालत में तीन माह से अधिक की अवधि के लिए सोसायटी का व्यतिक्रमी हो या किसी अन्य बकाये के संबंध में सोसायटी का व्यतिक्रमी भी हो या किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसायटी का व्यतिक्रमी हो।

2. अगर नामांकन पत्रों की संवीक्षा के दौरान किसी अन्य सदस्य द्वारा यह बात निर्वाचन पदाधिकारी के संज्ञान में सबूत सहित लायी जाती है कि नामांकन भरने वाला अभ्यर्थी नामांकन पत्र/ भरने की तिथि को वस्तुतः किसी सहकारिता ऋण का व्यतिक्रमी है, तो संतुष्ट हो लेने के पश्चात् वह ऐसे अभ्यर्थी का नामांकन रद्द कर सकता है।

3. विगत पैक्स चुनाव के समय ऐसे कई मामले दृष्टिगत हुए हैं, जिसमें संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा किसी सदस्य को पहले बकाया रहित प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है, किन्तु ऐन नामांकन भरने या संवीक्षा के समय सीधे निर्वाचन पदाधिकारी को यह सूचना उपलब्ध कराई गई है कि पूर्व प्रमाण पत्र भूलवश निर्गत हो गया था, एवं उक्त व्यक्ति के पास कुछ बकाया शेष है। अधिकांश मामलों में यह बकाया राशि अत्यन्त अल्प होती है किन्तु निर्वाचन पदाधिकारी ने उक्त आधार पर अभ्यर्थी का नामांकन रद्द कर दिया है। वित्तीय संस्था द्वारा संबंधित व्यक्ति(अभ्यर्थी) को इसकी सूचना पहले कभी नहीं दी गई। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी पक्ष-विपक्ष से प्रभावित होकर ऐन नामांकन के समय ऐसी सूचना एक सोची-समझी रणनीति के तहत निर्गत की जाती है, ताकि उसका नामांकन रद्द हो जाए, तथा दूसरे अभ्यर्थी को इसका प्रत्यक्ष लाभ पहुँचे।

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका संख्या 14139/2009 बच्चा राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में एक ऐसा ही मामला उठाया गया है, जिसमें याचिकाकर्त्ता का नामांकन छपरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की इस सूचना के आधार पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया कि उसके पास 78 रू॰ बकाया है। ज्ञातव्य है कि उक्त बैंक द्वारा पहले अभ्यर्थी को बकाया रहित प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10.11.2009 में इस संदर्भ में यह कड़ा प्रेक्षण किया है कि कानून की आड़ में यह शक्ति एवं अधिकारिता का खुला दुरूपयोग है। अगर याचिकाकर्त्ता को बकाया राशि प्रमाण पत्र

निर्गत करने के समय ही बता दिया जाता कि उसके पास एक छोटी-सी रकम बकाया है, तो वह निश्चित ही उसका भुगतान ससमय कर देता और उसका नामांकन रद्द होने की नौबत नहीं आती।

5. उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निदेश दिए जाते हैं, तो भविष्य के सभी सहकारिता चुनावों/ उप चुनावों में लागू होंगे -

i. प्रारूप मतदाता सूचियाँ तैयार करने के समय ही डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक/ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक एवं संबंधित सोसाईटी का अभिलेखों के आधार पर बकाया ऋण प्रदर्शित कर दिया जायेगा।

ii. संबंधित वित्तीय संस्थान बकाया रहित प्रमाण-पत्र काफी सावधानी के साथ निर्गत करेंगे।

iii. बकाया रहित प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु संबंधित वित्तीय संस्थान एक पदाधिकारी को इसके लिये प्राधिकृत करेंगे। इस उद्देश्य से पैक्स एवं अन्य समितियों तथा व्यापार मंडलों के मामले में बकाया रहित प्रमाण पत्र **पेड सेक्रेटरी** द्वारा निर्गत किया जायेगा। पेड सेक्रेटरी की अनुपस्थिति में संबंधित सोसाईटी के अध्यक्ष द्वारा तथा सोसाईटी के अवक्रमित रहने की स्थिति में उसके प्रशासक द्वारा बकाया रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंकों, राज्य को-ऑपरेटिव बैंक एवं अन्य शीर्ष तथा राज्यस्तरीय सोसाईटियों/ संगठनों के मामले में बकाया रहित प्रमाण पत्र संबंधित संगठन के प्रबंध निदेशक द्वारा निर्गत किया जायेगा। किन्तु वैसे शीर्ष संगठन, जिनका क्षेत्राधिकार बड़ा है, अपने एक या एक से अधिक पदाधिकारियों को बकाया रहित प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत कर सकेंगे, परन्तु एक ही क्षेत्र(जिला, अनुमंडल आदि) के लिए वैसा एक ही प्राधिकृत पदाधिकारी होगा। उक्त प्राधिकृत पदाधिकारी से भिन्न किसी पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। शीर्ष संस्थान द्वारा बकाया रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए जिस पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है, उस प्राधिकृत पदाधिकारी की सूचना बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स.स.) एवं सभी निर्वाचन पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से चुनाव घोषणा के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पहले उपलब्ध करा दी जायेगी।

iv. अगर नामांकन पत्र भरे जाने की तिथि से तीन महीने के पूर्व कोई बकाया रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, तो उसके बाद निर्गत कोई भी बकाया ऋण पत्र मान्य नहीं होगा।

v. व्यतिक्रमियों (defaulters) के मामले में उन्हें बकाया(अगर कोई हो) चुकता करने का पूरा मौका दिया जाएगा। उनके द्वारा ऋण चुकता कर देते ही उन्हें तुरन्त पूर्ण बकाया रहित प्रमाण-पत्र पुनः निर्गत कर दिया जाएगा। **किन्तु ऐसा कोई भी संशोधन नामांकन शुरू हो जाने के पूर्व तक ही किया जायेगा।**

vi. संवीक्षा के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा लिखित अनुरोध दिए जाने पर ही संबंधित प्रतिष्ठान किसी अभ्यर्थी के बकाये के संबंध में उन्हें सीधे सूचना उपलब्ध करायेंगे।

6. उपर्युक्त निदेश तुरंत प्रभावी होंगे।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(एन॰ एस॰ माधवन)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक- **519** /पटना, दिनांक **18** मार्च, 2010

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक- **519** /पटना, दिनांक **18** मार्च, 2010

प्रतिलिपि-निबंधक सहयोग समितियां, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से इसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों / सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों को अनुपालनार्थ उपलब्ध कराया जाय।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी